(ii) Recurring : Annual

	Essential	Desirable
(a) Salaries	(as per UGC/state/ central govt. norms)	
(b) Maintenance costs (Honorarium, Travel, Field Visits, Laboratories and Library, Purchase of soft-wares and General amenities etc.) Library books	2 lakhs	5 lakhs
(c) Replenishment of sports	Rs. 50,000/-	Rs. 25,000/-
(d) games and athletics equipment	Rs. 1,25,000/-	Rs. 1,50,000/-

*Note : Provision of Rs. 2 lakhs annually be made to add to the facilities and amenities under plan head.

5.4 Fees

The fee structure should be as prescribed by the state government/university from time to time. The guiding criteria for prescribing the annual tuition fee is that it should not exceed what is being spent per student annually under recurring expenditure. 10% of the students should be given freeship/scholarship on merit-cum-means basis.

6.0 More than one course in the same institution

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building/ complex, the facilities in terms of building, hall, library, hostels, equipment, play fields etc. may be shared in a reasonable manner.

C:/WPWIN60/WPDOCS/JULY-10/PT-GRU-CWPD

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1999

attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेंट्रल लाइन्स, दिल्ली

247

(14)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

सी–2/10, सफदरजग डवलपमेन्ट एरिया

नई दिल्ली–110016, दिनांक 29 दिसम्बर, 1998

सं० एफ० 28–II/96–एन० सी० टी० ई०—धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (च) तथा (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) की धारा 14 एवं 15 के साथ पढ़ा जाये, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संख्या एफ 28–11/95–एन० सी० टी० ई० दिनांक 29 दिसम्बर, 1995 के अंतर्गत जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिये आवेदन पत्र, आवेदनपत्र भेजने की विधि, संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति) विनियम 1995 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाये गये हैं।

1. इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिये आवेदनपत्र, आवेदनपत्र भेजने की विधि, संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति) विनियम, 1998 है।

2. ये विनियम तत्काल से लागू माने जाएंगे।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिये आवेदनपत्र, आवेदनपत्र भेजने की विधि, संस्थानों की मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति) विनियम, 1995 की तीन परिशिष्टों यथा परिशिष्ट II (क), परिशिष्ट II (ख) तथा परिशिष्ट II (ग) के स्थान पर, जिनका उल्लेख पैरा 8 के उप पैरा (ख) में और पैरा 9 के उप पैरा (ख) में है, निम्नलिखित परिशिष्ट रखे जाएंगे, यथा :

परिशिष्ट II (क) : अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिये मानक और मानदंड–पूर्व प्राथमिक (प्राथमिक बाल सुरक्षा और शिक्षा)

परिशिष्ट II (ख) : अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड–प्रारम्भिक

परिशिष्ट II (ग) : अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड–माध्यमिक (शिक्षा स्नातक बी० एड०)।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव

परिशिष्ट—1(क)

11 सितम्बर, 1998/14 जुलाई, 1998

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिये

मानक और मानदंड

पूर्व प्राथमिक

(प्रारम्भिक बाल सुरक्षा और शिक्षा)

एन० सी० टी० ई०

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

सी–2/10, सफदरजंग डवलपमेंट एरिया

नई दिल्ली

1998

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिये मानक और मानदंड

पूर्व–प्राथमिक

(प्रारम्भिक बाल सुरक्षा तथा शिक्षा)

1. प्रस्तावना

प्रारम्भिक बाल-सुरक्षा एवं शिक्षा (ई. सी० सी० ई०, जो पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का एक वैकल्पिक नाम है और जिसे एक अधिक व्यापक एवं सर्वग्राही संकल्पना कहा जा सकता है) को बालक के सम्पूर्ण विकास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। प्रारम्भिक बाल सुरक्षा एवं शिक्षा (ई० सी० सी० ई०) के क्षेत्र में इस समय इंटीग्रेटेड चाइल्ड डवलपमेंट सर्विसिज, अर्ली चाइल्डहुड एजूकेशन-ग्रान्ट-इन एड स्कीम, क्रेचेज एण्ड डे-केयर सेन्टर्स, बालवाड़ियां तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय (प्री प्राइमरी स्कूल) जैसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। तदनुरुप प्रारम्भिक बाल सुरक्षा एवं शिक्षा (ई० सी० सी० ई०) के लिये प्री प्राइमरी टीचर्स (पूर्व प्राथमिक अध्यापक) नर्सरी अध्यापक तथा आंगनवाड़ी/बालवाड़ी कार्यकर्त्ता जैसे अनेक प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं। पहले प्रकार के कार्यक्रमों के स्वरुप को मूलत: सेवा में आने के पूर्व का प्रशिक्षण कहा जा सकता है जबकि दूसरे कार्यक्रम वे हैं जो निरन्तर प्रदान की जाने वाली शिक्षा का ही एक अंग है। ई० सी० सी० ई० प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को इस ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में कार्य कर सकें। कार्यक्रमों की दिशा और स्वरुप ही नहीं बल्कि उनकी अवधि (जो कुछ माह से लेकर तीन वर्ष तक की हो सकती है) अलग–अलग ही नहीं है वरन् जिन स्तरों पर इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है (दसवीं कक्षा से कम से लेकर स्नातक स्तर की योग्यता रखने वाले प्रशिक्षुओं के लिये) उनका स्तर भी काफी अलग–अलग है। यहां जो मानक और मानदंड दिये गये हैं उनका सम्बन्ध विशेष रुप से पूर्व–प्राथमिक स्तर के लिये आयोजित सेवापूर्व के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से है जिनसे 3–6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

प्राथमिक–पूर्व शिक्षा का उद्देश्य है एक स्वस्थ, प्रसन्नचित्त बालक को विकास की दिशा पर ले जाना जिसका दृष्टिकोण मानवीय हो और जिसमें स्वयं सीखने की ललक पनप सके, न कि केवल उसे लिखने–पढ़ने तथा गणित की शिक्षा ही देना, जैसी कि प्रथा चली आ रही है, आवश्यक समझा जाय। बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा ऐसी हो जो उसके विकास तथा उस दिशा में उसकी निरन्तर प्रगति में सहायक हो सके। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र से सम्बन्धित अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों का लक्ष्य विद्यार्थी अध्यापक की संकल्पनाओं, दक्षताओं, प्रवृत्तियों और कुशलता का विकास होना चाहिये जिनका सीधा सम्बन्ध विकासोन्मुखी ऐसी पाठ्यचर्याओं को [illegible] करना हो जिनके केन्द्रबिन्दु में बच्चा हो, उसकी क्रीड़ाएं

Attested
Sahayak Niyantrak (Prakashan)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

Image Code

एवं खेलकूद एवं खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों रहें और जिनका दृष्टिकोण प्रारम्भिक बाल सुरक्षा एवं शिक्षा (ई०सी० सी०ई०) पर आधारित हो । पाठ्यचर्या में जिन बातों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है वे हैं : संज्ञानात्मक अथवा प्रज्ञाशक्ति तथा भाषा ज्ञान का विकास, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, सामाजिक–भावनात्मक विकास, शारीरिक एवं मनोमिति (साइकोमोटर) विकास, सौंदर्यबोध का विकास, रचनात्मक शक्ति एवं खेलकूद की प्रवृत्ति, कार्यक्रम नियोजन तथा विद्यालय संगठन, जनता की भागीदारी और उसका सहयोग । मोटे तौरपर निर्धारित इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत पाठ्यचर्याएं लचीली हो सकती हैं ताकि उनमें प्रारम्भिक बाल सुरक्षा एवं शिक्षा (ई०सी०सी०ई०) के क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोणों और सिद्धान्तों का समावेश हो सके । किन्तु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शिक्षा में तीन 'आर' (लिखने–पढ़ने, रटने) की प्रवृत्ति को बच्चों पर जबर्दस्ती न लादा जाय और पाठ्य-पुस्तकें, परीक्षाएं, साक्षात्कार, गृहकार्य तथा खेलकूद प्रतियोगिताएं जैसे क्रियाकलापों को, जो उस आयुवर्ग के अनुकूल नहीं है, उसमें प्रारम्भ न किया जाय ।

प्रारम्भिक बाल सुरक्षा एवं शिक्षा कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशानिर्देशों के अनुरूप, पूर्व–प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना ही आवश्यक नहीं है बल्कि इसके आधार को व्यापक बनाना भी जरुरी है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें । आज विद्यालय स्तर के पूर्व के जितने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं। उनमें से अनेक कार्यक्रमों को प्रारम्भिक बाल शिक्षा के बुनियादी दर्शन, सिद्धान्त, भावना एवं पद्धतियों के अनुरूप उचित रूप से ढ़ालने की जरूरत है। उन संस्थानों में जो इस कार्यक्रम को चलाते हैं, आवश्यक मूलभूत साज–सामान, जन–संसाधन तथा शैक्षणिक सामग्री आदि का होना भी आवश्यक है ताकि उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था हो सके ।

यहां प्रस्तुत मानक और मानदंड इस दृष्टि से निर्धारित किये गये हैं कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के विभिन्न पक्षों में गुणवत्ता और उचित प्रकार से एकरूपता बनाये रखना सुनिश्चित हो सके । इनमें उन अपेक्षाओं को स्पष्ट किया गया है, सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित किसी भी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण की मान्यता, उसकी अनुमति तथा उसमें निर्धारित विद्यार्थियों से अधिक की प्रवेश के लिये जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है । ये मानक और मानदंड सेवा में आने से पहले विभिन्न नामों से चलाये जा रहे समान समकक्ष अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों पर लागू रहेंगे । इन मानकों के अंतर्गत मानव–संसाधन, आधारभूत साज–सामान, शैक्षिक अवदान तथा वित्तीय प्रावधान जैसे विषयों को रखा गया है और उनका विशेष विवरण दिया गया है और इनके सम्बन्ध में जहां न्यूनतक को अनिवार्य बताया गया है वहां प्रासंगिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है । अपेक्षित के सम्बन्ध में भी स्तर निर्धारित किये गये हैं । उनके अनुसार व्यवस्था होने पर इसमें कोई संदेह नहीं कि निश्चय ही प्रारिम्भक बाल सुरक्षा एवं शिक्षा (ई०सी०सी०ई०) प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता के स्तर में वृद्धि होगी । ये मानक और मानदंड उन स्थानों पर लागू होते हैं जो केवल पूर्व-प्राथमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को चला रहें हैं । साथ ही ये उन स्थानों पर भी लागू रहेंगे जो शिक्षा के अन्य चरणों में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चला रहे है ।

इस दस्तावेज में ढांचागत आधारभूत साज–सामान शैक्षिक के अंतर्गत भूखंड, भवन, स्थान, कक्षों (कमरों), पुस्तकालय आदि के लिये जिन अनिवार्य अथवा आरक्षित मापों का उल्लेख है, आशय यह है कि लगभग उतनी अवश्य हों और उनका उल्लेख मात्र मार्गदर्शन की दृष्टि से ही किया गया है । इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना ही है कि कमरे आदि उतने आकार के अवश्य हों, जिनमें अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों के पठन–पाठन की गतिविधियां बिना किसी कठिनाई के सुचारूरूप में सम्पन्न हो सके ।

मानव संसाधन

2.1 अध्यापक वर्ग

अध्यापक–विद्यार्थी का अनुपात इस तरह का रहना चाहिए कि अध्यापक पढ़ाते समय अपने विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकें जिसके दौरान क्षेत्र में होने वाले लाभ और प्रायोगिक सम्बन्धो क्रियाकलापों पर जोर दिया जा सके । प्रतिवर्ष 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने पर अनिवार्य रूप से 1 : 2 (अपेक्षित 1:10) का अनुपात रहना चाहिये । अध्यापक वर्ग में 80 विद्यार्थियों के

Attested
12/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

249

लिए (प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में) एक प्राचार्य, 6 पूर्णकलिक तथा दो अंशकालिक अध्यापक होने चाहिए। अंशकालिक आधार पर ललित कलाओं (शिल्प, चित्रकला, कुंभकारी, मूर्तिकला आदि) रंगमंच तथा अभिनय कलाओं (नाटक, संगीत, नृत्य आदि), विज्ञान (जीव, पर्यावरण, भौतिक) आदि के लिए नियुक्त अध्यापक अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ अध्यापक होने चाहिए। सभी अध्यापकों के पास ई० सी० सी० ई० में विशेष योग्यता होनी चाहिए। सामान्य/बुनियादी शिक्षा के लिए सभी अध्यापकों की नियुक्तियां विधिवत गठित चयन समिति द्वारा चयन के बाद पूर्णकालिक नियमित आधार पर ही होनी चाहिए।

पद	अनिवार्य योग्यताएं	अपेक्षित योग्यताएं
प्राचार्य	एम० एस० सी०(होम साइन्स) साथ में मानव विकास/बाल विकास/ई० सी० सी० ई०/एम० एड० अथवा ई० सी० सी० ई० के साथ शिक्षा विषय में एम० ए० एवं अध्यापन में 5 वर्ष का अनुभव	मानव विकास/बाल विकास/ई० सी० सी० ई० में पीएच० डी० तथा अध्यापन कार्य में 5 वर्ष का अनुभव
पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक प्राध्यापक (लेक्चरर) अनिवार्य : 6 पूर्णकालिक अपेक्षित : 8 पूर्णकालिक	शिक्षा विषय में एम० ए०/एम० एड० साथ में ई० सी० सी० ई० 1 लेक्चरर जो विकासोन्मुख मनोविज्ञान (डवलपमेन्टल साइकलाजी में एम० ए० हो)	बाल विकास/मानव विकास/ई० सी० सी० ई० में पीएच० डी० साथ में अध्यापन कार्य में 5 वर्ष का अनुभव।
अंशकालिक अध्यापक : 2	ललित कलाओं/अभिनय कलाओं/विज्ञान में विशेष योग्यता	
पुस्तकालय सहायक एवं तकनीकी कर्मचारी (तकनीशियन)	पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा अथवा स्नातक (पुस्तकालय विज्ञान) (बी० लिब०)	एम० लिब० तकनीशियन/कम्प्यूटर एजूकेशन में प्रशिक्षण

टिप्पणी : जो पहले से ही सेवारत हैं अथवा जहां ई० सी० सी० ई० में प्रशिक्षण के साथ योग्यता-प्राप्त प्राचार्य और अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, अध्यापक वर्ग के उन व्यक्तियों को कम से कम 21—21 दिन की अवधि के दो नियमित ई० सी० सी० ई० अथवा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित ई० सी० सी० ई० को पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा।

2.2 प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग

पद	अनिवार्य
उच्च श्रेणी क्लर्क तथा कार्यालय अध्यक्ष	एक
निम्न श्रेणी क्लर्क/टाइपिस्ट	एक
तकनीकी/पुस्तकालय सहायक/स्टोर कीपर	एक
कम्प्यूटर प्रचालक	दो
सहायक कर्मी (हेल्पर)	
कुल	पांच

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

250

3. ढ़ांचागत आधारभूत साज-सामान

3.1. स्थान और भवन

3.1.1 भूखंड और स्थान

इनडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की गतिविधियों के इस्तेमाल के लिये कुल मिला कर लगभग 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए और उसमें प्रकाश रोशनदानों, सुरक्षा और सफाई की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिये। बाग-बगीचों (फूलदार पौधों, जड़ी बूटी वाले पौधों) और खेल के मदानों के लिये पर्याप्त खुली जगह रहनी चाहिये। संस्थान ऐसे क्षेत्र में होना चाहिये जहां अपेक्षाकृत शोरगुल कम रहता हो और जो प्रदूषण-मुक्त हो। वहां परिवहन और संचार की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिये तथा पानी-बिजली और प्रसाधन (शौचालय आदि) की सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिएं। स्थानीय सांस्कृतिक मानदंडों और उपयुक्त किस्म के फर्नीचर को इस्तेमाल में लाकर उपलब्ध स्थान को अनेक कार्यों के लिये प्रयोग में लाने के लिए एक ऐसी नवीन दृष्टि अपनाई जानी चाहिये कि स्थान के उपयोग पर खर्च भी कम आये और उसका पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके। जहां 30 प्रतिशत बाहर से आकर पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, उपयुक्त तो यह होगा कि वहां कर्मचारी वर्ग के लिए आवासगृहों और विद्यार्थियों के लिये छात्रावास की व्यवस्था की जाये।

3.1.2 शैक्षणिक क्षेत्र

संस्थान की इमारत के लिये ऐसे मानदंडों को प्रोत्साहन दिया जाना उचित रहेगा जिनको अमल में लाने से उपलब्ध स्थान, हवा, धूप तथा छांह सभी का अधिकतम प्रभावी ढ़ंग से लाभ उठाया जा सके। जिसके लिये इमारत के निर्माण में देशी पद्धतियों (तकनीकों) को अपनाया जाना चाहिये किन्तु आवश्यक यह भी है कि उनके कारण इमारत की सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं के लिये खतरा न रहे। इसमें सिद्धांत विषयों की पढ़ाई की कक्षाओं के लिये कमरे होने चाहिये, अन्दर होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिये स्थान रहना चाहिये, एक ऐसा बड़ा बहुउद्देश्यीय हाल होना चाहिये जिसमें कला, शिल्प, संगीत एवं वाद्य तथा अन्य गतिविधियों, सामग्री-उत्पादन, शिक्षा प्रौद्योगिकी आदि से सम्बन्धित पठन-पाठन से सम्बन्धित तरह-तरह के कार्यों के लिये स्थान रहे, साथ ही जिसमें पुस्तकालय शिक्षा ग्रहण करने के संसाधन केन्द्र के लिये स्थान भी रहना चाहिये। सिद्धांत विषयों की पढ़ाई के कक्षाओं के कमरे इतने बड़े होने चाहिये कि उसमें अधिकतम 50 विद्यार्थी अध्यापकों के लिये अच्छा तो यह रहे कि 40 के लिये स्थान रहे।

मद	अनिवार्य	अपेक्षित
कक्षाओं के कमरे	2 (प्रत्येक 45 व० मी०)	4 (प्रत्येक 70 व० मी०)
कला, शिल्प, संगीत, वाद्य अन्य गतिविधियों, सामग्री उत्पादन तथा शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिये	एक बड़ा बहुउद्देशीय हाल 150 व० मी०	हाल (100 व० मी०) और इन सभी क्रियाकलापों के लिये अलग अलग कमरे
शिक्षा ग्रहण संसाधन* केन्द्र	एक बड़े अकार का कमरा (75 व० मी०)	पुस्तकालय, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर प्रयोगशाला के लिये अलग कमरा
इनडोर गेम्स/शारीरिक शिक्षा स्पोर्टस, एथेलेटिक्स	शारीरिक शिक्षा, स्पोर्टस तथा एथेलेटिक्स के लिये बाहर उपयुक्त आकार का खुला मैदान	इसके अतिरिक्त इंडोर खेलों के लिये अलग कमर

*शिक्षा ग्रहण संसाधन केन्द्र (लर्निंग रिसोर्स सेन्टर)

अलग से पुस्तकालय, शिक्षा प्रौद्योगिकी तथा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की सुविधाओं के बजाय, विकल्प स्वरूप सीखने-पढ़ने का एक सम्मिलित शिक्षा ग्रहण संसाधन केन्द्र की स्थापना करने पर विचार किया जाना चाहिये। यह केन्द्र (लर्निंग रिसोर्स सेन्टर) स्थापित किये जाने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि इसमें ऐसी व्यवस्था रहे जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी पठन-पाठन की प्रक्रिया में सहायता देने और उसकी अभिवृद्धि के लिये तरह-तरह की सामग्री का इस्तेमाल कर सकें। इस केन्द्र में निम्नलिखित वस्तुएं उपलब्ध रहनी चाहिएं :—

* पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं तथा मैगजीन
* बाल-पुस्तकें
* श्रव्य-दृश्य उपस्कर (यंत्र-संयंत्र), टी० वी०, वी० सी० आर०, टेप रिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर
* पठन-पाठन सामग्री, चार्ट, चित्र
* विकासोन्मुखी प्रगति मूल्यांकन सम्बन्धी चैक लिस्ट और नाप-तौल के औजार
* कम्प्यूटर, जेरोक्स मशीन।

3.1.3 प्रयोगशाला विद्यालय

अपेक्षा यह की जाती है कि प्रशिक्षण संस्थान के साथ लगा एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय ई०सी०सी०ई० केन्द्र हो। किन्तु जब तक संस्थान का स्वयं कोई अपना पूर्व-प्राथमिक विद्यालय हो, संस्थान किसी आसपास के विद्यालय अथवा कुछ विद्यालयों के एक समूह को उसे/उन्हें अपनाये जाने की दृष्टि से परस्पर एक समझौते पर (मेमोरेण्डम आफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर करके उसे/उन्हें अपना सकता है।

5—519 GI/98

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

251

3.1.4 कार्यालय के लिये स्थान

विवरण	अनिवार्य	अपेक्षित
प्राचार्य का कक्ष	लगभग 20 वर्ग मीटर	लगभग 25 वर्ग मीटर
अध्यापक बैठक कक्ष	लगभग 40 वर्ग मीटर	लगभग 75 वर्ग मीटर
कार्यालय कक्ष	लगभग 20 वर्ग मीटर	लगभग 30 वर्ग मीटर
भण्डार कक्ष	लगभग 20 वर्ग मीटर	लगभग 30 वर्ग मीटर

3.1.5 सुविधाएं

अनिवार्य	अपेक्षित
महिला विद्यार्थियों के लिये एक सामान्य बैठक कक्ष (कम से कम तलक्षेत्र 50 व० मी०)	महिला और पुरुष प्रत्येक वर्गों के विद्यार्थियों के लिये बैठक कक्ष
महिला तथा पुरुष प्रशिक्षुओं के लिये अलग-अलग प्रसाधन (शौचालय आदि)	कर्मचारियों के लिये अलग से अतिरिक्त प्रसाधान (शौचालय आदि)
(कम से कम दो स्थानों पर पीने के पानी की सुविधा जहां कार्य समय के दौरान हर वक्त पानी उपलब्ध रहे।	जल प्रशोतक (वाटर कूलर) ; प्राचार्य, कर्मचारी वर्ग, पुस्तकालय, बैठक कक्षों के लिये डेजर्ट कूलर।

3.1.6 आवासीय क्षेत्र

विद्यार्थियों के लिये छात्रावास

अपेक्षित

महिला विद्यार्थियों के लिये एक छात्रावास। यदि विद्यार्थी नगर निगम की सीमाओं के बाहर से आते हैं तो अपेक्षा यह भी है कि पुरुष विद्यार्थियों के लिये भी एक छात्रावास रहेगा। छात्रावासों में कमरे ऐसे हों जिनमें एक या दो विद्यार्थी रह सकें और जिनमें भोजनालय, भोजन-कक्ष (डायनिंग रूम) तथा प्रसाधन (शौचालय) की सुविधाएं हों।

कर्मचारी आवासगृह

अपेक्षित

प्राचार्य के निवास स्थान के अतिरिक्त अध्यापक वर्ग के कम से कम 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिये आवासगृहों (क्वार्टर्स) की व्यवस्था होनी चाहिये। अध्यापक वर्ग से अतिरिक्त ऐसे अन्य कर्मचारियों के लिये भी जिनकी सेवाओं की रात-दिन में किसी भी समय आवश्यकता रहती है, परिसर के पास ही कहीं रहने के स्थान की व्यवस्था होनी चाहिये। उन क्षेत्रों में, जहां किराये पर मिलने वाले मकानों की कमी हो, सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिये रहने की व्यवस्था होनी चाहिये।

3.1.7 खेल के मैदान

अनिवार्य

संस्थान के पास खुले मैदान के रूप में उचित आकार की जगह (लगभग 1000 वर्ग मीटर) होनी चाहिये जिससे वहां 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को एक ही समय में एक साथ बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेलों जैसे कि वालीबाल, बास्केटबाल, बैडमिन्टन, थो बाल, खो-खो, कबड्डी और दूसरे भारतीय खेलों को खिलाने की व्यवस्था हो सके।

अपेक्षित

अपेक्षा तो यह है कि बाहर मैदान में सक्रिय रूप से खेले जाने वाले और भी अधिक खेलों जैसे कि गेंद से खेले जाने वाले खेलों, एथलेटिक्स के लिये मैदानों और इनडोर खेलों के लिये कमरों की व्यवस्था रहे। वांछनीय तो यह है भी कि बाग-बगीचे के लिए भी कुछ स्थान रहे जिसमें फूलदार पौधे, फलदार वृक्ष, जड़ी-बूटियों वाले पौधे लगाये जा सकें साथ ही सड़कों के दोनों ओर अन्य उपयुक्त स्थानों पर पेड़ लगाने की व्यवस्था भी रहे।

3.2 फर्नीचर

संस्थान की इमारत के सभी कमरों में उचित किस्म का पर्याप्त फर्नीचर (कम से कम इतना जिसका विवरण नीचे दिया गया है) होना। फर्नीचर ऐसा हो जो सम्बन्धित कार्य के अनुरूप और उस कमरे में होने वाली गतिविधियों के लिये उपयुक्त रहे। फर्नीचर इस ढंग का भी होना चाहिए जो पठन-पाठन की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि पठन-पाठन सम्बन्धी कार्यों, प्रदर्शन, भाषण, परिचर्चा, सामूहिक कार्य, परियोजना कार्य सभी के लिये उपयुक्त रहे। फर्नीचर ऐसा हो जो वजन में हल्का हो, जिसे आसानी से हिलाया या हटाया जा सके और जो तरह-तरह के कार्यों में काम आ सके, साथ ही जब भी आवश्यक हो जिसे अलग-अलग ढंग से व्यवस्थित करके रखा जा सके। अनिवार्य फर्नीचर का विवरण इस प्रकार है :—

* विद्यार्थियों, अध्यापकों के लिये कुर्सियां और मेजें—आवश्यकतानुसार
* हाल में मंच, विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा अतिथि गण के लिये पर्याप्त संख्या में कुर्सियां
* कार्य सम्बन्धित मेजें, स्टूल, अलमारियां
* सभी कर्मचारियों के लिये कुर्सियां और मेजें—आवश्यकतानुसार

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

252

IndiaCode

* पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में बुकशेल्ज, मेजें, कुर्सियां पत्र–पत्रिकाएं रखने के रैक, फाइलिंग कैबिनैट
* सूचनापट्ट, बुलटिन बोर्ड, ब्लैकबोर्ड
* स्टोरेज रैक
* कला/संगीत कार्यक्रमों के लिये उपयुक्त आकार वाली दरियां, कोइर मैट, मेजें ।

3.3 विभिन्न क्रियाकलापों के लिये उपस्कर (यंत्र–संयंत्र)

3.3.1 पठन–पाठन सामग्री और सहायक यंत्र–संयंत्र

कार्यक्रम के लिये विभिन्न प्रकार की जिन गतिविधियों के लिये योजनाएं बनाई जाएं उनके प्रयोग में आने वाली सामग्री और यंत्र–संयंत्र काफी संख्या में ही नहीं रहने चाहिये बल्कि वे बढ़िया किस्म के होने चाहियें । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

अनिवार्य

शिक्षा सामग्री, मोडल, खेल का सामान, विभिन्न विषयों (संगीत खेलकुद, शिक्षा–गतिविधियां, काम में आने वाले पृष्ठ कठपुतली सचित्र पुस्तकें, फोटो, बड़े चित्र (ब्लो अप), चार्ट नक्शे, फ्लैश कार्ड, छोटी हस्तपुस्तिकाएं, चित्र, बाल विकास के लक्षणों, को प्रदर्शित करने वाले चित्र ।

अपेक्षित :

शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण का सामान, सहायक पोषाहार तैयार करने के यंत्र, प्रथमोपचार सामग्री ।

3.3.2 यंत्र-संयंत्र, औजार सहायक सामग्री, खेलकूद की सामग्री तथा कला एवं शिल्प सम्बन्धी कार्यों के लिए कच्चा सामान :

अनिवार्य

लकड़ी के काम में आने वाले औजारों का एक सेट, माली के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, सिलाई, कपड़े की कटाई-छंटाई, कठपुतली में काम आने वाला कच्चा सामान और उसके यंत्र-संयंत्र तथा चार्ट, मोडल, तथा अध्यापक विद्यार्थी द्वारा किये जाने वाले अन्य प्रायोगिक कार्यों में काम आने वाला सामान, कला-सामग्री, बेकार सामग्री, स्टेशनरी (चार्ट पेपर, माउन्टबोर्ड आदि) कैंची, पैमाने आदि, कपड़ा ।

अपेक्षित

उपर्युक्त कार्यों के लिए हाथ से चलाये जाने वाले औजार और दूसरे यंत्र-संयंत्र जैसे कि सिलाई मशीन आदि ।

3.3.3 श्रव्य–दृश्य यंत्र-संयंत्र

टी० वी०, वी० सी० आर० ओडयो कैसेट रिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली ओडियो-वीडियो कैसेट, श्रव्य-दृश्य से सम्बन्धित अन्य सामग्री (एड्स), वीडियो-ओडियो टेप, स्लाइड्स, चार्ट, चित्र ।

अपेक्षित

कम्प्यूटर तथा अन्य सहायक यंत्र एवं सामग्री ।

3.3.4 संगीत एवं वाद्ययंत्र

अनिवार्य

हारमोनियम, तबला, बांसुरी, मंजीरा तथा भारतीय शैली के अन्य वाद्ययंत्र जैसे सामान्य वाद्ययंत्र ।

अपेक्षित

ढोलक, ढोल-नगाड़ा, तंबूरा, ट्रायएंगिल्स, झांझ-करताल, घूंघरू, स्थानीय रूप से उपलब्ध अथवा अध्यापक द्वारा उपलब्ध साधनों से बनाये गये अन्य यंत्र ।

3.3.5 पुस्तकें, पत्रपत्रिकाएं तथा मैगजीन

अनिवार्य

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष में सम्बन्धित विषयों पर कम से कम 1000 पुस्तकें उपलब्ध रहनी चाहिएं और उनमें प्रति वर्ष स्तरीय पुस्तकों की उचित संख्या में वृद्धि होती रहनी चाहिए । संग्रहीत पुस्तकों में बाल-विश्वकोश, शब्दकोश, संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा विषय पर पुस्तकें, अध्यापक के प्रयोग में आने वाली हस्त-पुस्तिकाएं चित्रात्मक पुस्तकें सम्मिलित रहनी चाहिएं । संस्थान को कम से कम तीन पत्रपत्रिकाओं को मंगाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिनमें से एक व्यावसायिक शिक्षा विषय की पत्रिका होनी चाहिए ।

अपेक्षित

प्रारम्भ में संस्थान के पास 2000 ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए जिनमें प्रति वर्ष 75 पुस्तकों की वृद्धि होते रहने की व्यवस्था रहनी चाहिए । उसे कम से कम पांच पत्र-पत्रिकाओं को मंगाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिनमें से कम से कम दो ऐसी हों जो शिक्षा-व्यवसाय से सम्बन्धित हों ।

3.3.6 खेल और खेल–क्रीड़ाएं (स्पोर्ट्स) :

अनिवार्य

अन्दर कमरों (इनडोर) और बाहर मैदानों (आउटडोर) खेले जाने वाले सामान्य खेलों के लिये खेलकूद सम्बन्धी उपस्कर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहने चाहिए ।

अपेक्षित

खेलकूद के सामान का एक से अधिक सेट और एथलेटिक्स में प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक सामान और उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) ।

4. शैक्षिक अवदान

4.1.1 पात्रता

अनिवार्य

पूर्व-प्राथमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (दो वर्ष) में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता है उच्चत्तर माध्यमिक प्रमाणपत्र (सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट) इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा, जिसमें 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।

Attested
12/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

253

संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार सीटें आरक्षित रखी जाएंगी ।

4.1.2 चयन प्रक्रिया :

कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत संस्थान/विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति अथवा सरकार/राज्य स्तरीय संस्था द्वारा ली गई चयन परीक्षाओं (कोम्प्रीहेंशन), संप्रेक्षण (कम्यूनिकेशन), सामान्य जानकारी (जनरल अवेयरनेस) तथा साक्षात्कार के आधार पर निर्धारित योग्यताक्रम के अनुसार किया जायेगा ।

4.2 कार्य-दिवस (घंटे)

	अनिवार्य	अपेक्षित
कार्य-दिवसों की संख्या (प्रत्येक की अवधि 5 घंटे)	200 (1000 घंटे)	220 (प्रत्येक 5–6 घंटे का) (1100–1320 घंटे)
प्रवेश-प्रक्रिया, प्रशासकीय कार्य, परीक्षा कार्य आदि के लिए दिन	20 (100 घंटे)	15 (75 घंटे–प्रति दिन 5 घंटे)
पाठ्यचर्या में शिक्षण के लिए दिन/घंटों की संख्या	180 (900 घंटे)	205 (1025 घंटे)
— सिद्धांत विषय	400 घंटे	90 (450 घंटे)
— प्रायोगिक विषय	500 घंटे	115 (575 घंटे)

टिप्पणी : प्रायोगिक में विद्यालय-पूर्व केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों, आंगनवाड़ी/बालवाड़ी (250 घंटे) में क्षेत्र में रहकर अभ्यास के रूप में किया गया अध्यापन कार्य तथा स्वयं संस्थान के भीतर किया गया प्रायोगिक कार्य जैसे कि शिक्षण-निरीक्षण, आदर्श विद्यार्थी द्वारा किया गया अध्यापन कार्य, अध्यापन-सामग्री तैयार करना (250 घंटे) सम्मिलित है । इन दो भागों में क्या और सम्मिलित रह सकता है इस सम्बन्ध में कुछ विवरण अलग भी दिया गया है । (4.5.1 तथा 4.5.2) ।

4.3 पाठ्यक्रम की विषयवस्तु :

विषय-वस्तु में निम्नलिखित सम्मिलित रहने चाहिएं :

* भारत में प्रारम्भिक बाल एवं बाल-सुरक्षा शिक्षा के विकास का इतिहास तथा स्थिति और उसका महत्व ।
* प्रारम्भिक बाल सुरक्षा एवं शिक्षा (ई० सी० सी० ई०) का दार्शनिक आधार ।
* प्रारम्भिक बाल शिक्षा 0 से 3, 3 से 6 वर्ष की आयु तक विकास पक्ष एवं क्रियाकलाप ।
* कार्यक्रम नियोजन तथा कक्षा प्रबन्ध ।
* स्वास्थ्य एवं पोषाहार ।
* विद्यालय संगठन एवं प्रबन्ध ।
* सामुदायिक शिक्षा एवं जनसहयोग (मोबिलाइजेशन) ।
* पद्धतियां एवं सामग्री

अपेक्षाकृत अधिक ध्यान विकास पक्ष तथा प्रारम्भिक बाल्यावस्था से सम्बन्धित गतिविधियों की समझ पर दिया जाना चाहिए ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विद्यार्थी-अध्यापकों के व्यक्तित्व के विकास से सम्बन्धित पाठ्येतर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए ।

4.4 पाठ्यचर्या में शिक्षण :

भाषण, प्रदर्शन जैसे अध्यापन कार्य में प्रयोग में लाई जाने वाली सीधी पद्धतियों के अतिरिक्त, पाठ्यचर्या में शिक्षण के दौरान निम्नलिखित दृष्टिकोण और पद्धतियों पर जोर दिया जाना चाहिए :

* भागीदारी पद्धति : छोटे-बड़े समूहों में चर्चा-परिचर्चा-अभिनीत-प्रदर्शन (रोल प्ले), खेलकूद, प्रश्नमंच, समान कृत्रिम परिस्थितियों (सिम्यूलेटरी कंडीशन्स), में कार्य निष्पादन, सामग्री निर्माण, परियोजना कार्य, बच्चों के निकट सम्पर्क में प्राप्त अनुभव, बालमेला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन ।
* स्वयं पढ़कर सीखने की पद्धति : प्रायोगिक अभ्यास–अध्यापन तथा क्षेत्र में कार्य, रिपोर्ट बनाना, केस-अध्ययन, कहानी संग्रहण, गीत तथा खेलकूद, पुस्तकालय कार्य आदि ।
* श्रव्य दृश्य एवं यंत्रों एवं सामग्री का प्रयोग ।
* क्षेत्र में दौरे एवं भ्रमण

4.5 प्रायोगिक

4.5.1 अभ्यास शिक्षण

अनिवार्य 250 घंटे

अपेक्षित 275 घंटे । लगभग 60 संख्

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

254

IndiaCode

विद्यार्थीयों-अध्यापकों को विद्यालय पूर्व/केन्द्रों/आंगनवाड़ियों बालवाड़ियों में अभ्यास–अध्यापन के लिए न केवल समयबद्ध "पाठ पढ़ाने/पीरियड लेने" की योजना बनाकर उस पर अमल करना होगा बल्कि यह योजना पूरे दिन के कार्यक्रम (विद्यालय अवधि) के रूप में बनाकर उसे अमल में लानी होगी । ऐसा करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय-पूर्व के स्तर की शिक्षा देने वाले चयनित विद्यालयों में, जिन्होंने खेल-खेल में शिक्षा देने की निर्धारित पद्धति अपनां रखी है, सर्वांगीण परिप्रेक्ष्य को लेकर समय के यथोचित उपयोग और नियोजन में प्रशिक्षण देना संभव हो सके । तदनुसार 'अध्यापन', 'पाठ', 'कक्षा' आदि जैसे शब्दों को उनके समुचित विकासशील संदर्भ में समझना होगा । अभ्यास-शिक्षण को चरणों में, अपेक्षित तो यह होगा कि निम्नलिखित तीन चरणों में विभाजित कर लिया जाये :

* चरण–1 विद्यालय-पूर्व की शिक्षा देने वाले 'चयनित विद्यालय केन्द्रों' में कक्षाओं में अध्यापन–निरीक्षण जहां अनुपात 1 विद्यार्थी-अध्यापक और 12 बच्चों से अधिक नहीं रहना चाहिए (20 प्रतिशत समय में)
* चरण–2 सहयोगी के रूप में कक्षा की गतिविधियों का भागीदार बनकर निरीक्षण कार्य (सम्बन्धित केन्द्रों के नियमित अध्यापकों की सहायता के लिये) (30 प्रतिशत समय)
* चरण–3 बच्चों के साथ रहकर स्वतन्त्र कार्य । कक्षा के कार्यक्रम की स्वतंत्र योजना बनाकर उस पर अमल करना (50 प्रतिशत समय अंतरंग–अध्यापन)

इन चरणों का अध्यापक-शिक्षा संकाय द्वारा निकट से पर्यवेक्षण का कार्य करना होगा । पर्यवेक्षण कार्य में निम्नलिखित सम्मिलित रहेंगे :

पाठयोजनाओं की जांच, पूर्व जानकारी देने सम्बन्धी परिचर्चा, योजनाओं (लिंकिंग प्लान्स) के लिये मार्ग दर्शन, जिसमें सिद्धान्त पक्ष पर जानकारी सम्मिलित रहेगी, निगरानी तथा अनुवर्ती कार्यवाही । पर्यवेक्षण कार्य के दौरान किसी भी निश्चित समय में अनुपात । संकाय सदस्य के साथ 6 विद्यार्थी अध्यापक से अधिक नहीं रहेगा ।

विद्यार्थी–अध्यापकों द्वारा स्वयं प्रस्तुत रिपोर्टों संकाय–सदस्यों के पर्यवेक्षण-कार्य तथा विद्यालय पूर्व शिक्षा के अध्यापक वर्ग की रिपोर्टों के आधार पर मूल्यांकन का कार्य निरन्तर होता रहना चाहिए । मूल्यांकन के लिए प्रमुखता नियोजन–कार्य, कक्षा का सुनियोजित संगठन, पठन-पाठन सामग्री का उत्पादन एवं प्रयोग, बच्चों के साथ आदान प्रदान के स्तर की गुणवत्ता को दी जानी चाहिए ।

4.5.2 प्रायोगिक कार्य

अभ्यास शिक्षण कार्य के अतिरिक्त, विद्यार्थी-अध्यापक द्वारा किये जाने वाले कार्य में निम्नलिखित सम्मिलित रहेगें ।

अनिवार्य

(क) पठन-पाठन सामग्री का उत्पादन/संग्रह
 (क) 20 कहानियों का संग्रह तैयार करना
 (ख) 20 खेलों का संग्रह तैयार करना
 (ग) नीचे दी गई सूची के अनुसार पठन-पाठन सामग्री तैयार करना :

अनिवार्य

* एक परिवार के चार सदस्यों (माता-पिता तथा दो बच्चे) के चेहरों की गुड़ियों का निर्माण
* कठपुतलियां (एक दस्ताना (ग्लोव) कठपुतली और एक छड़ी (स्टिक) कठपुतली)
* सीक्वेंस कार्डस (चार कार्ड का एक सैट)
* वर्गीकरण के लिये कार्ड (तास के 52 पत्तों को प्रयोग में लाया जा सकता है)
* 2, 3, 4 प्रकार की पहेलियां (जिगसां पज़ल्स) (अलग-अलग)
* सम्बन्ध कार्ड
* चित्रमय मोहरें (डोमिनोज) (कोई भी)
* कलर फिल्टर्स (तीन रंग, हर रंग के कार्ड का आकार अलग-अलग)
* वैज्ञानिक खिलौने
* संवेदी किट (सेंसरी किट) : फीली बैग (छूकर अनुभव करने के लिए), स्मेल बाक्सेज, साउण्ड बाक्सेस, टच कार्ड, स्वाद
* संगीतमय खिलौने (यथा रेटल, रिद्रम स्टिक्स, डमरु)
* सीरिएशन कार्ड (आकर के लिये)
* प्रथमोपचार किट

अपेक्षित

* मुलायम खिलौने
* मिलान के लिए शक्ल/आकृतियां
* कथा चार्ट (एक)
* स्वयंसिद्ध पहेलियां (समान तथा विपरीत)
* तुलनयंत्र
* दृष्टि पहचान पट्टिका (विजुअल डिसक्रिमिनेशन स्ट्रिप)
* श्रवण पहचान पट्टिका (साउण्ड पहचान पट्टिका)
* फ्लेश कार्डस

ख. कौशल विकास

* कला एवं शिल्प
* पठन-पाठन सामग्री का उपयोग
* संप्रेषण कौशल (कम्यूनिकेशन स्किल)

ग. बच्चों का पर्यवेषण-कार्य संचित रिकार्ड का रख-

Attested

(सहायक नियंत्रक (प्रशासन))
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

255

रखाव प्रगति कार्ड आदि ।

घ. स्वास्थ्य एवं पोषाहार

* प्रथमोपचार
* उपयुक्त आहार और पोषक भोज्य पदार्थों की योजना बनाना और उन्हें तैयार करना

ङ. क्षेत्र में दौरे (रपोर्ट)

च. केस-अध्ययन

4.6 कौशल निर्धारण, मूल्यांकन और निगरानी

कौशल निर्धारण, मूल्यांकन और निगरानी कार्य के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे :—

(क) विद्यार्थी अध्यापकों के कार्य का कौशल निर्धारण

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन

विद्यार्थी-अध्यापक कार्यकुशलता के निर्धारण के आयाम

* विषय-वस्तु का ज्ञान (परीक्षा—मौखिक तथा लिखित)
* भागीदारी का स्तर (अभ्यास-शिक्षण का निरन्तर मूल्यांकन)
* कक्षा में पठन-पाठन कार्य में रुचि
* संप्रेषण-कौशल (मौखिक तथा अमौखिक)
* नियोजन और संगठन कौशल
* प्रारम्भिक उपक्रम शक्ति और नवीन दृष्टिकोण से कार्य करने की क्षमता (इनोशिएटिव एवं इनोवेटिवनेस)
* बच्चों, माता पिता तथा समाज के प्रति प्रासंगिक होने की क्षमता

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन

* पाठ्यक्रम एवं उनका शिक्षण
* अध्यापन पद्धति
* अध्यापकों द्वारा स्वतः मूल्यांकन
* पाठ्यक्रम चलाने वाले विद्यालयों एवं केन्द्रों के साथ आदान-प्रदान, चर्चा-परिचर्चा एवं सहयोग
* अभ्यास शिक्षण का पर्यवेक्षण एवं अनुवर्ती कार्य
* विद्यार्थी अध्यापक के कार्य के कौशल निर्धारण की पद्धतियां एवं दृष्टिकोण
* सुविधाओं के लिए प्रावधान, उनका रख-रखाव तथा उपयोग
* कर्मचारी वर्ग के लिए विकास कार्यक्रम
* अध्यापक विद्यार्थी अनुपात
* विद्यार्थी-अध्यापकों के लिए पाठ्येतर क्रियाकलाप
* अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु अध्यापकों की बैठक

5. वित्तीय प्रावधान

5.1 वृत्तिदान एवं आरक्षित निधि

संस्थान के पास आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च के लिये पर्याप्त धनराशि रहनी चाहिए ।

सरकार/स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह उसे समय-समय पर यथासंभव पर्याप्त आर्थिक सहायता देते रहेंगे । निजी उद्योग से चलाये जाने वाले संस्थान के पास राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार वृत्तिदान निधि बनी रहनी चाहिए । इसके अतिरिक्त इतनी आरक्षित निधि रहनी चाहिए जिससे वह अपने कर्मचारियों को तीन माह का वेतन देने में समर्थ हो ।

5.2 वित्तीय प्रबन्ध

संस्थान की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके किसी सहयोगी सहायक बैंक में जमा रहनी चाहिए । संस्थान को वे वित्तीय क्रियाविधि सम्बन्धी व्यवस्थाएं अपनानी चाहिये जो विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं । संस्थान के वार्षिक बजट में सभी प्रकार के आवर्ती खर्च के लिये पर्याप्त प्रावधान रहना चाहिए । आवर्ती खर्च का विवरण इस प्रकार है ।

5.2.1 वेतन

भत्तों और अन्य लाभों सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों का वि० वि० अ० आयोग/राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन तथा अन्य लाभ ।

5.2.2 शिक्षण सामग्री का खर्च

मद :

पठन-पाठन सामग्री

खेलकूद सामग्री

शिक्षा एवं विकास मूल्यांकन/कौशल निर्धारण/शिक्षा प्रौद्योगिकी कला, संगीत, तथा गतिताल सम्बन्धी वाद्ययंत्र,

स्पोर्टस तथा खेलकूद

पुस्तकें एवं लेखन सामग्री

आपात खर्च

अनिवार्य : रु० 750— प्रति विद्यार्थी/वर्ष

अपेक्षित : रु० 1000— प्रति विद्यार्थी/वर्ष

संस्थान के आवर्ती खर्च का अनुमान विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर लगाया जा सकता है ।

5.2.3 पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, श्रव्य-दृश्य उपकरण आदि

अनिवार्य : 10000— रुपये प्रति वर्ष

अपेक्षित : 15000— रुपये प्रति वर्ष

शुल्क की दरें और छात्रवृत्तियां

अनिवार्य

शुल्क की दरें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जानी चाहिये । किन्तु किसी भी स्थिति में एक विद्यार्थी से लिया कुल शुल्क और अन्य अधिभार संस्थान द्वारा प्रति विद्यार्थी पर किये गये आवर्ती खर्च से अधिक नहीं होना चाहिए ।

अपेक्षित

गरीब वर्ग के सुयोग्य विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त संख्या में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान रहना चाहिए । पर्याप्त संख्या में विशुद्ध योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां प्रदान करने की व्यवस्था रहनी चाहिए ।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

256

indiacode

6. एक ही संस्थान में एक से अधिक पाठ्यक्रम

यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी भवन/परिसर में एक से अधिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था है तो उस स्थिति में भवन, हाल, पुस्तकालय, छात्रावास, उपकरण, खेल के मैदान आदि के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का सभी मिलकर यथावश्यक उचित लाभ उठा सकते हैं ।

परिशिष्ट—II (ख)

11 सितम्बर, 1998/15 जुलाई, 1998

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड

(प्रारम्भिक)

एन० सी० टी० ई०

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
सी–2/10, सफदरजंग डवलपमेन्ट एरिया
नई दिल्ली
1998

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड
(प्रारम्भिक)

1. प्रस्तावना :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर मुख्य रूप से बल (1) शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए सभी के पंजीयन/14 वर्ष की आयु वर्ग तक के सभी बच्चों को शिक्षा में बनाये रखने की सुविधा तथा (2) शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में पर्याप्त सुधार पर दिया जायेगा । प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार बहुत कुछ उन अध्यापकों की अपनी गुणवत्ता पर निर्भर करेगा जो इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए उत्तरदायी हैं । प्रकारान्तर यह कहा जा सकता है कि अध्यापकों की गुणवत्ता प्रमुख रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि प्रारम्भिक अध्यापक का शिक्षा के क्षेत्र में सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्तर क्या है ।

विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता के स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड निर्धारित किये गये हैं । वर्तमान दस्तावेज में 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद दो वर्ष के प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा देने वाले प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड दिये गये हैं । इन मानकों के अंतर्गत जिन विषयों को रखा गया है वे हैं : मानव संसाधन, आधारभूत ढांचागत साज समान, शैक्षिक अवदान तथा वित्तीय प्रावधान ।

मानक दो स्तरों पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं : (1) अनिवार्य मानकों के अंतर्गत उन न्यूनतम अपेक्षाओं की व्याख्या की गई है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा सांविधिक मान्यता प्राप्त करने की दृष्टि से सभी संस्थानों द्वारा जिनकी पूर्ति होना अनिवार्य है और (2) अपेक्षित मानकों का अर्थ उनसे हैं, कम से कम उचित अवधि में जिनका लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संस्थानों को सतत् प्रयत्न करते रहना होगा ।

ये मानक कम से कम 100 विद्यार्थियों (50 पहले वर्ष में+50 दूसरे वर्ष में) को प्रवेश दिये जाने की संभावना की सुविधा के आधार पर मानकर तैयार किये गये हैं । इससे अधिक संख्या में प्रवेश देने वाले संस्थानों को जितने अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है उसी अनुपात में अध्यापक वर्ग की संख्या और सुविधाओं में वृद्धि करना आवश्यक होगा । यदि 100 से कम विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, उस स्थिति में भी निर्धारित न्यूनतम आश्वश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही होगी ।

इस दस्तावेज में आधारभूत साज-सामान शीर्षक के अंतर्गत भूखंड, भवन, स्थान, पुस्तकालय आदि के सम्बन्ध में जिन अनिवार्य अथवा अपेक्षित मापों का उल्लेख है, आशय यही है कि वे उतनी तो अवश्य होनी ही चाहिए और उनका उल्लेख मात्र मार्गदर्शन की दृष्टि से ही किया गया है । इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि कमरे आदि उतने आकार के अवश्य होने चाहिएं जिनमें अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों के पठन-पाठन का काम बिना कठिनाई के सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके ।

2. मानव संसाधन :

2.1 अध्यापक वर्ग :

अनिवार्य :

प्राचार्य को छोड़कर प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अध्यापक–विद्यार्थी का अनुपात 1 : 12 में रहना अनिवार्य है । 100 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने की स्थिति में (50 पहले वर्ष में + 50 दूसरे वर्ष में) जिस अध्यापक वर्ग की आवश्यकता रहेगी उनमें एक प्राचार्य और 8 अध्यापक सम्मिलित हैं । यदि प्रवेश अधिक विद्यार्थियों को दिया जाता है तो उसी अनुपात में अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक होगा ताकि 1 : 12 का अनुपात बनाये रखना संभव हो सके । अनुपात की गणना में अंशकालिक अध्यापकों की गिनती नहीं की जाएगी । अध्यापकों में कम से कम एक अध्यापक ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसे विद्यालय स्तर की शिक्षा में पढ़ाने जाने वाले विषय यथा अंग्रेजी, मातृभाषा (राज्य की भाषा), गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र तथा कम्प्यूटर शिक्षा में से हरएक विषय की विषयवस्तु और शिक्षण पद्धति का ज्ञान हो । शिक्षा का आधार एवं सामान्य विषयों को पढ़ाने के लिए अलग से दो अध्यापक और रहने चाहिये । इनके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बन्धित हर विषय के लिए एक-एक प्रशिक्षक और होना चाहिए; शारीरिक शिक्षा, संगीत कार्यशाला अभ्यास, शिक्षा प्रौद्योगिकी । कितने अध्यापक रखना आवश्यक होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भाषण–कार्य का भार, अभ्यास-

Attested
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

शिक्षण पर्यवेक्षण-कार्य का भार और उससे सम्बन्धित अन्य प्रायोगिक कार्य का भार कितना रहता है। इतना ही नहीं, एक अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है या नहीं, इस बात का अनुमान इस दृष्टि से लगाना होगा कि पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने वाले किसी अमुक ऐच्छिक विषय समूह में कितने विद्यार्थी आते हैं, साथ ही एक विद्यार्थी कितने ऐच्छिक विषय और लेता है। यह सभी व्यवस्था इसी स्थिति पर निर्भर करती है कि पढ़ाये जाने वाले हर विषय (विद्यालय स्तर के विषय) को पढ़ाने के लिए कम से कम एक योग्यता-प्राप्त अध्यापक और हर बैच को सामान्य विषय पढ़ाने के लिए एक अध्यापक अवश्य रहना चाहिए।

प्राचार्य और अध्यापकों की पदश्रेणी और योग्यतायें इस प्रकार होनी चाहिये :—

पद	अनिवार्य	अपेक्षित
प्राचाय	पद: रीडर /किसी महाविद्याल में वरिष्ठ प्राध्यापक (लेक्चरर) योग्यतायें : एम० एड०/शिक्षा विषय में एम० ए० तथा प्राध्यापक (लेक्चरर) के रूप में अध्यापन कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।	पद : प्रोफेसर योग्यताएं : विद्यालय विषय में स्नातकोत्तर डिग्री साथ ही शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री एवं प्राध्यापक (लेक्चरर पद पर अध्यापन कार्य का अनुभव।
सामान्य विषयों के लिये प्राध्यापक (2)	पद . किसी मद्य विद्यालय में प्राध्यापक योग्यतायें : एम० एड० शिक्षा विषय में एम० ए०	पद : रीडर योग्यतायें एम० एड० शिक्षा विषय में एम० ए० तथा सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; मनोविज्ञान शास्त्र / समाजशास्त्र को प्रधानता।
अध्यापन पद्धति विद्यालय विषय में प्राध्यापक (लेक्चरर) (5)	पद : महाविद्यालय के लिये निर्धारित योग्यता के साथ प्राध्यापक (लेक्चरर) एम० एड० शिक्षा विषय में एम० ए० जिसमें पहली डिग्री सम्बन्धित विषय में हो और शिक्षण पद्धति में विशेष योग्यता हो अथवा संबंधित विद्यालय विषय में एम० ए०/एम० एस० सी० हो, साथ में विषय के अध्यापन कार्य में विशेष योग्यता हो।	पद : रीडर योग्यतायें एम० एड० /शिक्षा विषय में एम० ए० तथा सम्बन्धित प्रासंगिक अथवा सम्बन्धित विद्यालय विषय में एम० ए०
शिक्षा प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक (1)	पद: महाविद्यालय में प्राध्यापक (लेक्चरर) योग्यतायें शिक्षा प्रौद्योगिकी में विशेष योग्यता के साथ एम० एड० अथवा शिक्षा प्रौद्योगिकी में एम० एड०	पद : महाविद्यालय में प्राध्यापक (लेक्चरर)। योग्यतायें इंजीनियरी की डिग्री, साथ में शिक्षा प्रौद्योगिकी में विशेष प्रशिक्षण
शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षक (1)	पद : पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक योग्यतायें बी० पी० एड०/बी० पी० ई०	पद : महाविद्यालय में प्राध्यापक (लेक्चरर) योग्यतायें एम० पी० एड०/एम० पी० ई०
कला/संगीत प्रशिक्षक (2)	पद : माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक योग्यतायें कला/संगीत में डिग्री अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद कला/संगीत में डिप्लोमा	पद : महाविद्यालय में प्राध्यापक (लेक्चरर) योग्यतायें कला/संगीत में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा
कार्यशाला प्रशिक्षक/ काय अनुभव प्रशिक्षक (1)	पद: माध्यमिक विद्यालय अध्यापक योग्यताएं इंजीनियरी में डिप्लोमा	पद : महाविद्यालय में प्राध्यापक (लेक्चरर) योग्यताएं इंजीनियरी में डिग्री
शिक्षा प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षक (1)	पद पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक योग्यताएं कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पद: महाविद्यालय में प्राध्यापक (लेक्चरर) योग्यताएं : कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

258

टिप्पणी

(1) उच्च पद और उच्च योग्यताएं निर्धारित होने पर उपयुक्त पदनाम दिये जाएं (जैसे कि प्रशिक्षक के पद की श्रेणी बढ़ाकर उसे प्राध्यापक (लेक्चरर) आदि का पद बना दिया जाए) ।

(2) अध्यापक वर्ग में सभी कर्मचारियों को नियुक्ति नियमित एवं पूर्णकालिक आधार पर की जाए जिन्हें राज्य/केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिए निर्धारित वेतनमान दिया जाए।

(3) सभी पदों के लिए चयन विधिवत गठित चयन समितियों द्वारा ही किया जाए जिसमें विशेषज्ञ सदस्य रहें ।

(4) अध्यापन के कार्यभार के अनुसार कला, संगीत तथा कार्य अनुभव आदि विषयों के लिए अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्तियां की जा सकती हैं । अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात की गणना करते समय इन अंशकालिक अध्यापकों को गणना में नहीं लिया जायेगा ।

2.2 सहायक तकनीकी कर्मचारी वर्ग

पद	अनिवार्य	अपेक्षित
लायब्रेरियन	एक योग्यतायें पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा	योग्यतायें पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री, पुस्तकालय आटोमेशन में अनुभव।
लायब्रेरी सहायक	एक योग्यतायें पुस्तकालय विज्ञान अथवा समकक्ष विषय में डिप्लोमा	दो योग्यतायें पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा

2.3 प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग

पद	अनिवार्य	अपेक्षित
कार्यालय सहायक	एक	दो
लेखा सहायक	एक	दो
टाइपिस्ट वर्ड प्रोफेसर	एक	दो
कार्यालय सहायक	दो	दो

टिप्पणी

50 से अधिक बैच के लिये कर्मचारी वर्ग और सुविधाओं की गणना करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन किया जायगा

बैच का आधार 50–55 — 50 के बैच के लिये निर्धारित आवश्यकतायें

बैच का आकार 56–65 60 के बैच के लिये निर्धारित आवश्यकतायें

बैच का आकार 66–75 70 के बैच के लिये निर्धारित आवश्यकतायें

किसी एक अकेले बैच में 75 से अधिक को रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी । किसी एक वर्ष में 75 से अधिक को प्रवेश दिये जाने पर, सम्बन्धित आकार के बैच के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार, दूसरे स्वतंत्र बैच के चलाने की क्रियाविधि को अपनाना होगा ।

किसी भी परिस्थिति में किसी एक वर्ष में 150 से अधिक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

6—519 GI/98

Attested
12/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

259

IndiaCode

3. आधारभूत ढांचागत साज-सामान :

3.1 स्थान और भवन :

3.1.1 भूखंड, क्षेत्र और स्थान :

अनिवार्य :

प्रशासकीय खंड, शैक्षिक खंड तथा खेल के मैदानों/ मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान।

संस्थान ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां शोरगुल अपेक्षाकृत कम रहता हो और जो प्रदूषण-मुक्त क्षेत्र हो और जहां पानी और बिजली पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। यहां से निकटतम स्थित शहर के लिए परिवहन और संचार की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए।

पहले और दूसरे वर्ष में प्रवेश सम्बन्धी आवश्यकतायें—50+50

मद	अनिवार्य	अपेक्षित
कुल भूखण्ड क्षेत्र	5000 व० मी०	15000 व० मी०
भवन का तलक्षेत्र (इसमें छात्रावास तथा कर्मचारी आवास गृह शामिल नहीं है)	1000 व० मी०	1500 व० मी०
प्रति विद्यार्थी तलक्षेत्र	10 व० मी०	12 व० मी०

3.1.2 शिक्षण सुविधाएं

मुख्य भवन में निम्नलिखित सुविधायें रहनी चाहिये

	अनिवार्य	अपेक्षित
1. कक्षा के कमरे	4 : प्रत्येक 60 व० मी०	6 ; 150 व० मी०
2. सभा कक्ष	1 : 100 व० मी०	6; 150 व० मी०
3. पुस्तकालय एवं वाचनालय	1 : 100 व मी. 30 विद्यार्थियों के लिये बैठने का स्थान	1; 50 विद्यार्थियों के बैठने के लिये 150 व० मी०
4. **बहुउद्देश्यीय शैक्षिक प्रयोगशाला	; 75 व० मी० 16–20 विद्यार्थियों के लिये प्रायोजिक कार्य की सुविधायें	2; 15 विद्यार्थियों के लिये 75 व० मी०
5. कार्यशाला	1; 75 व० मी०	2 ; प्रत्येक 75 व० मी०
6. कला तथा संगीत कक्ष	1 ; 60 व० मी०	2 अलग-अलग कक्ष—प्रत्येक का आकार 50 व० मी०
7. खेल कक्ष	1 ; 50 व० मी०	1+ इनडोर खेलों के लिये 1 हाल—आकार 50 व० मी०
8. शिक्षा प्रौद्योगिकी कक्ष	1 ; 40 व० मी०	1+ अलग से 1 कम्प्यूटर कक्ष में 40 व० मी०

**शिक्षा सम्बन्धी विचार और पद्धतियों को सम्मलित करने की दृष्टि से सस्थानों में प्रयोगशाला सम्बन्धी आवश्यकताओं को फिर से निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा; नियमित विज्ञान प्रयोगशाला अथवा मनोविज्ञान प्रयोगशाला का होना आवश्यक नहीं है; किंतु विभिन्न खण्डों (विज्ञान शिक्षा प्रयोगशाला, गणित शिक्षा प्रयोगशाला; भाषा शिक्षा प्रयोगशाला, शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला) वाली एक बहुआयामी बहूउद्देश्यीय प्रयोगशाला का और उसके साथ एक छोटी कार्यशाला का होना आवश्यक है।

यदि एक बहुउद्देशीय प्रयोगशाला के लिये बड़े आकार का कोई कमरा उपलब्ध न हो तो भिन्न भिन्न खण्डों की प्रयोगशालाओं के लिये अलग अलग कमरे बनाये जा सकते हैं।

3.1.3 प्रशासन खण्ड

प्रशासनिक खण्ड में निम्नलिखित कमरे होने चाहिये

कमरे	अनिवार्य	अपेक्षित
प्राचार्य का कक्ष	1; 30 व० मी०	50 व० मी०
अध्यापक बैठक कक्ष	1; 60 व० मी०	75 व० मी०
कार्यालय कक्ष	1 ; 50 व० मी०	75 व० मी०
भण्डार कक्ष	1 ; 50 व० मी०	75 व० मी०

IndiaCode

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन) 12/5/11
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

960

3.1.4 अन्य सुविधाएं :

अनिवार्य :

40 वर्ग मीटर के आकार का महिला विद्यार्थियों के लिए एक सामान्य बैठक कक्ष, जिसमें साफ पीने के पानी और प्रसाधन (शौचालय आदि) की सुविधाएं उपलब्ध रहें ।

अपेक्षित :

दो सामान्य बैठक कक्ष, पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए एक-एक जिसमें हरएक का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर हो और जिनके साथ में महिला तथा पुरुष विद्यार्थियों तथा कर्मचारी वर्ग के लिए अलग-अलग प्रसाधन कक्ष रहें । दो स्थानों पर जल–प्रशीतक (वाटर कूलर) की सुविधाएं हों।

3.1.5 आवासीय क्षेत्र

(क) विद्यार्थियों के लिये छात्रावास

अपेक्षित

दो छात्रावास, एक पुरुष विद्यार्थियों के लिये और एक महिला विद्यार्थियों के लिये, जिनमें 60 प्रतिशत विद्यार्थियों के रहने की सुविधा रहे ।

(ख) कर्मचारी आवासगृह

अपेक्षित

अध्यापक वर्ग के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों और अध्यापक वर्ग से अतिरिक्त उन सभी कर्मचारियों के लिये जिनकी सेवाओं की दिन रात में किसी भी समय आवश्यकता रहती है, परिसर के आसपास रहने के लिये मकानों की व्यवस्था की जानी चाहिये । प्राचार्य के लिये आवास की व्यवस्था संस्थान के आस पास होनी चाहिये ।

(ग) खेल के मैदान

अनिवार्य

संस्थान के पास कम से कम इतने खेल के मैदानों की सुविधा रहनी चाहिये जहां एक समय में ही कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को बाहर मैदानों में खेले जाने वाले इन खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये छोटे-छोटे मैदान बने हों; वालीबाल, बास्केट बाल, बैडमिन्टन, खो–खो, कबड्डी या अन्य स्थानीय खेल । खेल के मैदानों और शारीरिक शिक्षा के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर क्षेत्र की व्यवस्था रहनी चाहिए ।

अपेक्षित :

खेल के मैदान––1000 वर्ग मीटर । बड़े-बड़े मैदानों में खेले जाने वाले––फुटबाल, हाकी, क्रिकेट जैसे खेलों के लिए सुविधाएं–इनडोर खेली–टेबिल टेनिस आदि जैसे इन डोर खेलों के लिए एक हाल, जिमनेजियम तथा एथलेटिक्स ट्रैक।

3.2 उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) :

3.2.1 बहुउद्देश्यीय शिक्षा प्रयोगशाला :

बहुउद्देश्यीय शिक्षा प्रयोगशाला (विज्ञान खंड) :

अनिवार्य :

संस्थान में प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल की कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में निर्धारित सभी तरह के परीक्षणों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी यंत्र-संयंत्र और रसायन रहने चाहिए।

अपेक्षित :

उक्त प्रयोगशाला के लिए कार्यों में काम आने वाले यंत्र-संयंत्र के अनेक सेट; देशी सामान को इस्तेमाल में लाकर परीक्षण-किटों को तैयार करने की सुविधाएं ।

3.2.2 बहुउद्देश्यीय शिक्षा प्रयोगशाला (मनोविज्ञान खंड) :

अनिवार्य :

निम्नलिखित परीक्षणों के लिए प्रावधान रहना चाहिए: सवेदी मोटर, बुद्धि परीक्षण (मौखिक तथा अमौखिक प्रस्तुति); प्रवृत्ति, व्यक्तित्व तथा प्रोजेक्टिव परीक्षणों सहित रुचियों-अभिरुचियों की सूचिका; साधारण पियाजेशियन तथा बूनेरियन परीक्षण करने के लिए प्रावधान ।

अपेक्षित :

मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसे कि––सपैन अटेंशन, डिस्ट्रेक्शन, आफ अटेन्शन मेज लर्निंग, बायलेटरल ट्रान्सफर आफ ट्रेनिंग, फ्री वर्सेस कंट्रोल्ड एसोसिएशन, इफेक्ट आफ कोडिंग आन मेमोरी, रिट्रोएक्टिव इनहिबीशन, इफेक्ट ऑफ रेस्ट पॉज ऑन साइको-मोटर लर्निंग, इफेक्ट ऑफ मेन्टल सेट ऑन प्रोब्लेम सौल्विंग, इफेक्ट आंफ मेन्टल सेट ऑन कंसेप्ट फार्मेशन, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस मैटीरियल ऑन रिटेन्शन; एसोसिएशन मीडिएशन इफेक्ट, लर्निंग कंसेप्ट फार्मेशन एंड लर्निंग के करने के लिए आवश्यक उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) ।

उक्त निर्दिष्ट परीक्षणों के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं तथा साज-सामान । उक्त निर्दिष्ट परीक्षणों के लिए अनेक सेट ।

3.2.3 बहूउद्देश्यीय शिक्षा प्रयोगशाला (शिक्षा प्रौद्योगिकी खंड)

अनिवार्य :

एक टी० वी०, एक ऑडियो कैसेट रिकार्डर, एक स्लाइड-कम-फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर; काफी संख्या में खाली ओडियो–विडियो/ट्रांजिस्टर सेट, वीडियो-कैसेट, कोर्डलेस माइक्रोफोन, एक रेडियो ट्रांजिस्टर सेट ।

अपेक्षित :

वीडियो कैमरा, एक एम्प्लीफायर, एक कम्प्यूटर, दो स्पीकर, दो माइक्रोफोन, दो ओडियो-कैसेट, रिकार्डर, एक वी० सी० आर०, एक ओ० एच० पी० कम्प्यूटर पर स्वयं सीखने की काफी सामग्री की सुविधा, एक मूवी कैमरा तथा फिल्म तैयार करने की सुविधाएं ।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

261

3.2.4 बहुउद्देश्यीय शिक्षा प्रयोगशाला से सम्बद्ध कार्यशाला

अनिवार्य

लकड़ी के काम के हाथ के औजारों का एक सेट, माली के औजारों का एक सेट और काम में अनुभव लेने के क्रिया-कलापों के लिए आवश्यक दूसरे जरूरी यंत्र-संयंत्र; दर्जीगीरी, टाइपराइटिंग के अभ्यास में और साधारण इलाक्ट्रानिक परीक्षणों में काम आने वाली वस्तुओं का प्रावधान, लकड़ी के काम, बढ़ईगीरी, लोहार के काम, मिट्टी के मॉडल बनाने तथा टीन (शीटल मेटल) के काम में अभ्यास की सुविधा के लिये एक खंड ।

अपेक्षित

शीशे की वस्तुएं बनाने, भट्टी से काम करने, कागज की लुग्दी से माडल बनाने तथा झलाई-ढ़लाई के काम के लिए एक खंड, पुट्ठे, टीन, लकड़ी तथा मिट्टी से शिक्षा देने के काम में आने वाली सामग्री/वस्तुओं के बनाने का प्रावधान।

3.2.5 कला तथा संगीत खंड

अनिवार्य

कला वस्तुएं बनाने के अभ्यास के लिए आर्ट पेपर, बोर्ड, ब्रुश, रंग आदि । हारमोनियम, तबला, मृदंग, बांसुरी तथा अन्य लोकप्रिय वाद्ययंत्र, नृत्य तथा नाटक प्रस्तुत करने के लिए परिधान व अन्य आवश्यक वस्तुएं, पर्दे तथा अन्य सहायक सामग्री ।

अपेक्षित

ध्वनि रिकार्डिंग यंत्र, प्रसिद्ध संगीतकारों के संगीत के रिकार्ड, महत्वपूर्ण कला शैलियों को बताने वाले महान कलाकारों के चित्रों की प्रतियां, प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नृत्यों के वीडियो कैसेट, विभिन्न प्रकार के लोकनृत्यों के वीडियो कैसेट ।

3.2.6 खेल और खेल-क्रीडाएं (स्पोर्टस)

अनिवार्य

महत्वपूर्ण आउटडोर एवं इनडोर खेलों के लिये, खेलों और खेल-क्रीड़ाओं (स्पोर्ट्स) में काम आने वाले पर्याप्त यंत्र-संयंत्र और सामग्री । एथलेटिक्स तथा स्वस्थ शरीर निर्माण (बाडी बिल्डिंग) में प्रशिक्षण देने के लिये आवश्यक उपकरण ।

अपेक्षित

व्यायाम उपकरण तथा औजार, विभिन्न खेलों, विभिन्न प्रकार के व्यायामों तथा यौगिक मुद्राओं के अध्ययन में काम आने वाली वीडियो टेप ।

3.2.7 कम्प्यूटर केन्द्र

अनिवार्य

दो कम्प्यूटर और उनके प्रयोग में काम आने वाली अन्य सामग्री ।

अपेक्षित

पांच कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन तथा ई० मेल की सुविधा ।

3.3 पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं

अनिवार्य

संस्थान के चालू होने के पहले वर्ष के दौरान संदर्भ ग्रंथों और पाठ्यपुस्तकों सहित कम से कम 1500 पुस्तकें, जिनमें प्रति वर्ष 100 पुस्तकों की वृद्धि होते रहे । संस्थान को शिक्षा-व्यवसाय से सम्बन्धित कम से कम तीन पत्रिकाएं मंगाने की व्यवस्था करनी होगी ।

अपेक्षित

प्रारम्भ में संस्थान में 3000 पुस्तक होनी चाहिएं जिनमें प्रति वर्ष 200 पुस्तकों की वृद्धि होती रहे । क से कम पांच व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाएं रहनी चाहिये ।

3.4 फर्नीचर

संस्थान के लिये स्वीकृत विद्यार्थियों और अध्यापक वर्ग के बैठने के लिये भवन के सभी कमरों में पर्याप्त संख्या में फर्नीचर उपलब्ध रहना चाहिए । विभिन्न कमरों के लिये फर्नीचर की आवश्यकता का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

(कुल 100 विद्यार्थियों को लेकर की गई गणना के अनुसार)

कक्ष	अनिवार्य	अपेक्षित
1. कक्षा का कमरा	प्रति कक्षा के कमरे के लिये : विद्यार्थियों की सीटें (50) अध्यापक की कुर्सी (1) अध्यापक की मेज (1) ब्लैक बोर्ड (1) श्वेत बोर्ड (1) (3 मी० × 2 मी०) अतिरिक्त कुर्सियां (2) ओ० एच० पी० (1)	प्रति कक्षा में विद्यार्थियों के लिये 75 सीटें

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

262

कक्ष	अनिवार्य	अपेक्षित
2. सभा भवन	6 मी० × 3 मी० × 0.5 मी० आकार का मंच (1) विद्यार्थियों की सीटें (120) अध्यापकों की कुर्सियां (20) अतिथि की कुर्सियां (5)	प्रदर्शन कक्षाएं आयोजित करने के लिये सभा भवन के आकार का एक अतिरिक्त हाल
3. प्रयोगशाला	प्रयोगशाला के हर एक खण्ड मे 1.25 मी० × 2 मी० × 0.9 मी० आकार की 5 मेजें, लम्बे स्टूल (20) (0.6 मी० ऊंचे) अध्यापक की मेज (1) अध्यापक की कुर्सी (1) आलमारी (1)	बांई ओर निर्दिष्ट प्रकार की 10 मेंजे, अतिरिक्त आलमारी (1)
4. कार्यशाला	1.25×2 मी०×0.75 मी० आकार की कार्यबेंचें स्टूल (ऊंचाई 0.6 मी०) (20) अध्यापक की मेज (1) अध्यापक की कुर्सी (1) आलमारी (1)	कार्यशाला में अभ्यास के लिये बुनियादी फर्नीचर अतिरिक्त आलमारियां (2)
5 कम्प्यूटर कक्ष	कम्प्यूटर डेस्क (2) विद्यार्थियों की सीटें (2) कन्सोल के लिये मेज (1) प्रशिक्षक की कुर्सी (1) आलमारी (1) सफेद बोर्ड (1)	कम्प्यूटर लगाने के लिये फर्नीचर (5) ई-मेल और इन्टरनेट कनेक्शन
6 पुस्तकालय	2000 पुस्तकों के लिये पुस्तक शेलफ्स, पत्रिका रैक (1), 2000 कार्ड रखने के लिये कार्ड ट्रे (4), लायब्रेरियन की मेज (1) कुर्सियां (2) लम्बी मेजें, विद्यार्थियों के लिये कुर्सियां (50), सूचना पट्ट (1)	3000 पुस्तकों के लिये बुकशेल्वस, 3000 कार्ड रखने के लिये कैटलाग कैबिनेट बुलेटिन बोर्ड (1)
7. प्राचार्य कक्ष	2 मी० × 1.25 × 0.45 मी० अफ्कार की मेज (1) कुर्सियां (5) आलमारी (1) बुक रक (1)	सोफा सैट (1)
8 अध्यापक कक्ष	कुर्सियां (12) मेजें (12) अतिरिक्त कुर्सियां (6) अध्यापकों के लिये लोहे के शेल्वज (12)	अध्यापक केबिन कक्ष अध्यापकों के लिये साथ में लगा विश्राम कक्ष जिसमें पर्याप्त फर्नीचर रहे—हर एक के लिये आलमारी

Attested
Sm
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

कक्ष	अनिवार्य		अपेक्षित	
9. कार्यालय	मेजें	(3)	आगन्तुकों के लिए अतिरिक्त कक्ष	
	हरएक प्रशासकीय कर्मचारी के लिए कुर्सी	(1)	आगन्तुकों के लिए कुर्सियां	(6)
	लोहे की आलमारी	(1)		
	फाइलिंग रैक	(1)		
	सूचना पट्ट	(2)		
	अतिरिक्त कुर्सियां	(2)		
10. भंडार कक्ष	आलमारी	(3)	आलमारी	(5)
	रैक	(2)	रैक	(3)
11. विद्यार्थी बैठक कक्ष	लम्बी मेज	(1)	महिला तथा पुरुष विद्यार्थियों अर्थात् छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग कक्ष—साथ में लम्बी मेजें	(2)
	विद्यार्थियों के लिए कुर्सियां	(20)	हरएक कक्ष में विद्यार्थियों के लिए कुर्सियां	(15)

टिप्पणी :— ये वस्तुएं दो बैचों में 100 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं । विद्यार्थियों की संख्या 100 से अधिक होने पर यहां उल्लिखित सभी सुविधाओं में, आशा है कि उसी अनुपात में वृद्धि कर दी जाएगी।

4. शैक्षिक अनुदान

4.1 प्रवेश के मानदंड

4.1.1 पात्रता

अनिवार्य

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक जिसमें कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

सीटें संवैधानिक कानूनी प्रावधानों के अनुसार आरक्षित रखी जा सकती हैं।

4.1.2 चयन प्रक्रिया

विद्यार्थियों का चयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत किसी अभिकरण—राज्य सरकार/संस्थान द्वारा ली गई योग्यता निर्धारण परीक्षा और/या लिखित प्रवेश परीक्षा और/या साक्षात्कार के आधार पर निर्धारित योग्यताक्रम के अनुसार किया जायेगा।

4.2 पाठ्यचर्या में प्रशिक्षण एवं अंतरंग-शिक्षण

4.2.1 कार्यदिवस और प्रशिक्षण के घंटे

कुल कार्य-दिवस अनिवार्य 200 (1200 घंटे)
अपेक्षित 220 (1320 घंटे)

छः दिवसीय सप्ताह होने पर एक कार्य-दिवस 6 घंटे का रहेगा। पांच-दिवसीय कार्य-दिवस होने पर उसी अनुपात में घंटों की अवधि में वृद्धि हो जायेगी (7.2)।

इनका वितरण इस प्रकार रहेगा

	अनिवार्य	अपेक्षित
प्रति वर्ष अध्यापन-दिवस		
पर्यवेक्षण अधीन अभ्यास	150 दिन (900 घंटे)	160 (960 घंटे)
विद्यालयों में अध्यापन	40 दिवस (240 घंटे)	50 (300 घंटे)
प्रवेश तथा परीक्षा-दिवस	10 दिन (60 घंटे)	10 (60 घंटे)
	200 (1200 घंटे)	220 (1320 घंटे)

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

264

4.2.2 प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा किया जाने वाला प्रायोगिक कार्य (अभ्यास शिक्षण) के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के हर एक वर्ष के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को पर्यवेक्षण के अधीन निम्नलिखित प्रायोगिक कार्य करना होगा :

कार्य का नाम	अनिवार्य	अपेक्षित
* विज्ञान/गणित/भाषा/समाजशास्त्र में परियोजना	प्रति विषय–1	1
* सहायक अध्यापन सामग्री का उत्पादन	प्रति विषय–3	5
* परीक्षाओं परीक्षा अंकों की व्याख्या	प्रति विषय–1	1
* निदानात्मक (डायगनोस्टिक) परीक्षाओं की तैयारी, निष्पत्ति और व्याख्या	किसी एक विषय में–1	प्रति विषय–1
* श्रव्य-दृश्य यंत्रों/ उपकरणों का प्रचालन	सभी अनिवार्य यंत्रों/ उपकरणों का प्रयोग	सभी अपेक्षित यंत्रों/उपकरणों का प्रयोग भी
* सूक्ष्म अध्यापन पाठों का संचालन	बुनयादी कौशल–2	3
* प्रदर्शन पाठों का पर्यवेक्षण	प्रत्येक विषय में 2	3
* पाठों का पर्यवेक्षण	प्रत्येक विषय में 10	15
* खेल और खेल क्रीड़ाओं (स्पोर्ट्स) में भाग लेना	प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे	प्रतिदिन 1 घंटे
* कार्य अनुभव ग्रहण परियोजनाओं में भाग लेना	प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे	3 घंटे
* केस स्टडी/कार्यवाही शोध परियोजना	1	1+1
* विद्यालय कार्यक्रमों/गतिविधियों में भाग लेना	सभी कार्यक्रमों/गतिविधियों में	
* सिम्युलेशन/शिक्षा प्रबंधन केस स्टडी	प्रति वर्ष–1	1+1
कम्प्यूटर अभ्यास	प्रति सप्ताह–1	प्रति दिन–1

4.2.3 पर्यवेक्षण के अधीन अभ्यास शिक्षण

शिक्षण के प्रयोजन के लिये सिम्यूलेशन, वीडियो टेप के माध्यम से सूक्ष्म-शिक्षण (वीडियो-रिकोर्डेड माइक्रो-टीचिंग), क्रिटिकल-इंसीडेन्ट पद्धति, केस स्टडी अप्रोचेज, व्यक्तिगत स्तर पर इंटरनेट तथा कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा-ग्रहण करने की सुविधाओं के रूप में विद्यार्थी-अध्यापक को अपने व्यवसाय में निपुण बनाने की और अध्यापक-शिक्षा में गहनता से अध्ययन करने के लिये नई-नई तकनीकें उपलब्ध हैं। नई अध्यापक शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में इन तकनीकों को प्रयोग में लाया जाना चाहिये ।

अभ्यास-शिक्षण का कार्य बड़े ही सुनियोजित ढंग से होना चाहिये । एक विद्यार्थी-अध्यापक को हर दिन दो पीरियड में पढ़ाने का कार्य करना चाहिये और आदर्श विद्यार्थी अध्यापकों द्वारा पढ़ाने जाने वाले दो पाठों में उपस्थित रहकर अध्यापन-विधि का अध्ययन करना चाहिये । अभ्यास-शिक्षण के रूप में पढ़ाये जाने वाले कम से कम 50 प्रतिशत पाठों को पढ़ाने का काम संस्थान के अध्यापकों की उपस्थिति में होना चाहिये। पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक वैकल्पिक विषय एक विद्यार्थी को कम से कम 15 पाठ पढ़ाने चाहिये । अध्यापन कार्य के प्रथम चरण में सूक्ष्म-अध्यापन पद्धति (माइक्रो टीचिंग) का प्रयोग किया जाना चाहिये। अध्यापन अभ्यास के पहले चरण के प्रत्येक चरण में सूक्ष्म-अध्यापन कार्य (प्लान-टीच-रीटीच) को शामिल किया जाना चाहिये और अध्यापन अभ्यास का यह कार्य संस्थान के भीतर ही हो सकता है।

अभ्यास/ शिक्षण कार्य के लिये संस्थान को अनेक प्रारम्भिक विद्यालयों के साथ जिनकी संख्या पर्याप्त रहे, कार्यकारी प्रबंध करना होगा । वांछनीय तो यही होगा कि उसके साथ एक ऐसा विद्यालय जुड़ा रहे जहां उस स्तर की शिक्षा की पढ़ाई होती है ।

5 वित्तीय प्रबंध

5.1 वृत्तिदान एवं आरक्षित निधि

प्रत्येक संस्थान को विधिवत अपना वार्षिक बजट बनाना आवश्यक होगा। निजी उद्योग के अंतर्गत चलने वाले संस्थानों के पास कम से कम 5.00 लाख रुपये की वृत्तिदान राशि रहनी चाहिये और इतनी आरक्षित निधि रहनी चाहिये जिससे वे सभी वर्गों के अपने कर्मचारियों को तीन माह का वेतन देने में समर्थ हों।

5.2 लागत खर्च

(50+50 विद्यार्थियों पर)

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

265

5.2.1 अनावर्त्ती लागत खर्च

मद	अनिवार्य	अपेक्षित
भवन	30 लाख	40 लाख
(छात्रावास और कर्मचारी आवासगृह इसमें शामिल नहीं है)	(क्षेत्रफल 100 व०मी०)	(क्षेत्रफल 1500 व०मी०)
उपस्कर (यंत्र संयंत्र) तथा पुस्तकें	1 लाख	1.5 लाख
फर्नीचर (केवल संस्थान के लिए)	0.50 लाख	0.75 लाख

5.2.2 आवर्त्ती खर्च

सभी प्रकार के अनिवार्य आवर्त्ती खर्च के लिये वार्षिक बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जाना चाहिये जिससे निम्न-लिखित मदों के सम्बन्ध में प्रावधान करके संस्थान का अधिक-तम लाभ उठाया जा सके ।

(क) राज्य/केन्द्रीय सरकार के मानकों के अनुसार वेतन और अन्य लाभ ।

(ख) शिक्षण-सामग्री की खरीद, प्रयोगशालाओं, कार्य-शालाओं, शारीरिक शिक्षा खंड, कम्प्यूटर खंड तथा अन्य शैक्षिक गतिविधियों के रखरखाव/संचालन पर होने वाला खर्च जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है ।

प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष :
अनिवार्य—700/- रुपय
अपेक्षित—1000/- रुपये

5.3 शुल्क की दर
अनिवार्य

शुल्क की दरें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धा-रित दरों के अनुसार होनी चाहिये । तथापि किसी भी स्थिति में प्रत्येक विद्यार्थी से शुल्क तथा अन्य खर्चों के रूप में वसूल की गई राशि संस्थान द्वारा प्रति विद्यार्थी किये गये आवर्त्ती खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

अपेक्षा यह भी की जाती है कि गरीब वर्ग के कुछ सुयोग्य कुशल विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था रहेगी ।

6. एक ही संस्थान में एक से अधिक पाठ्यक्रम

यदि एक ही संस्थान द्वारा उसी भवन/परिसर में एक से अधिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था है तो उस स्थिति में भवन, हाल, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल के मैदानों आदि के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का सभी मिलकर यथावश्यक उचित लाभ उठा सकते हैं ।

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

परिशिष्ट—1 (ग)

22 जुलाई, 1998/4 सितम्बर, 1998

अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिये
मानक और मानदंड

माध्यमिक
शिक्षा स्नातक (बी० एड०)

एन० सी० टी० ई०

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
सी-2/10 सफदरजंग डिवलपमेन्ट एरिया

नई दिल्ली
1998

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिय मानक और मानदंड–माध्यमिक

1.0 प्रस्तावना

माध्यमिक स्तर पर अध्यापक के शिक्षण का कार्यक्रम, सामान्यतः जिसे शिक्षा स्नातक (बी० एड०) के नाम से जानते हैं, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसके तीन प्रमुख अंग हैं : (क) सिद्धांत-पक्ष, (ख) विद्यालय स्तर पर अनुभव ग्रहण पक्ष और (ग) प्रयोगिक कार्य । प्रशिक्षण के बाद व्यक्ति एक सक्षम अध्यापक के रूप में तैयार हो सके, इसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि इन तीनों पक्षों में उसे पूरी तरह जानकारी उपलब्ध कराई जाए ।

अध्यापक शिक्षा के सिद्धांत पक्ष में वे प्रमुख पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, जिनसे शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार तैयार होता है । इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य अध्यापक-भविष्य में अध्यापक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों, महिला हो या पुरुष, वास्तविक वस्तु-स्थिति के प्रति अपना स्वयं का दृष्टिकोण और यथोचित प्रतिक्रिया

IndiaCode

निश्चित करने और प्रस्तुत सामाजिक संदर्भों में शिक्षा को उपयोगी बनाने की दृष्टि से स्वयं अपनी सेवाओं को किस रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे, इस दृष्टि से सहायता प्रदान करना ही नहीं है, वरन, प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं, अभिरुचियों तथा योग्यताओं को और भी अच्छी तरह समझने के दृष्टिकोण का विकास करना भी है साथ ही यह भी है कि उनसे शिक्षा-ग्रहण करने के लिये प्रभावपूर्ण एवं उपादेय परिस्थितियों का निर्माण हो सके। विद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों की विषय-वस्तु एवं पठन-पाठन पाठ्यक्रमों की पद्धति के साथ शिक्षा का इतिहास, विद्यालय प्रशासन शिक्षा के स्तर का मापतौल एवं मूल्यांकन तथा शिक्षा प्रौद्योगिकी जैसे विषय सिद्धांत पक्ष के अभिन्न अंग हैं और अध्यापक-शिक्षा के क्षेत्र में जिनसे शिक्षण-पद्धति को एक नई दिशा मिलती है। दूसरा पक्ष-यथा विद्यालय स्तर पर अनुभव ग्रहण करना अथवा विद्यालय स्तर पर जीवन की वास्तविकताओं से साक्षात्कार के साथ ही साथ इस विशेष अवधि के दौरान कक्षा में अभ्यास के लिए अध्यापन तथा विद्यालय जीवन में शैक्षणिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से सम्बंधित है। इसके लिए अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रदर्शन के रूप में पाठों का पढ़ाया जाना, पाठ्-योजनाओं पर विचार-विमर्श, सूक्ष्म-अध्यापन (माइक्रो टीचिंग), सिक्मूलेटेड अध्यापन, विद्यालय स्तर के विज्ञान विषयों में परीक्षण तथा कक्षा में अध्यापन-कार्य से संबंधित दिखाए जाने वाले फिल्मों एवं फिल्म स्ट्रिपों की समीक्षा का कार्य किया जाता है। ध्यान इस रात पर रखा जाता है कि सिद्धांत और प्रायोगिक पक्षों के बीच निकट का संबंध बना रहे। तीसरा पक्ष है-प्रायोगिक/सत्राधीन कार्य-जिसका संबंध दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम, शिक्षण-सामग्री का उत्पादन, कार्य में अनुभव ग्रहण करना, खेल तथा खेल-क्रीड़ाएं, मनोविज्ञान परीक्षा के आधार पर प्राप्त परिणामों के रिकार्ड बनाना तथा परीक्षणों का आयोजन करना एवं क्षेत्र-भ्रमण, ट्यूटोरिल्स तथा छोटे-छोटे दलों में चर्चा-परिचर्चाएं आयोजित करने के साथ-साथ पाठ्येत्तर कार्यक्रम और विद्यालय तथा संस्थान स्तर पर आयोजित अन्य क्रियाकलापों से है।

इन क्रियाकलापों और साथ में सिद्धांत पाठ्यक्रमों से सम्बंधित प्रायोगिक कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए अध्यापक-प्रशिक्षकों को उपलब्ध रहना अनिवार्य है, ताकि जब भी आवश्यकता हो, उन्हें व्यापक स्तर पर परामर्श और मार्गदर्शन मिलता रह सके। तदनुसार संस्थान में अध्यापक-प्रशिक्षक का पूरे दिन स्वयं उपस्थित रहने का अपना विशेष महत्व है।

आज के युग में अध्यापक शिक्षा का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पक्ष है-पाठ्यचर्या में प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विधियों और माध्यमों का अपनाया जाना। तदनुसार कक्षा में भाषणों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनिवार्यता, छोटे-छोटे दलों में बंटकर चर्चा-परिचर्चा करना, गोष्ठी-परिगोष्ठियों, पुस्तकालय-कार्य तथा लिखित-कार्य आदि के लिए प्रावधान किया जाए।

ट्यूटोरिल्स को अनौपचारिक रूप में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण केंद्रबिंदु माना जाना चाहिए जहां प्रत्यक्ष रूप में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के बीच आदान-प्रदान होता है। यहां प्रवेश के समय विद्यार्थियों के आचार-व्यवहार साथ ही बाद में उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होते रहते है, यह देखने-समझने का सुन्दर अवसर तो मिलता ही है, ट्यूटोरियल्स एक ऐसा मंच भी है जहां विद्यार्थी-अध्यापकों के बीच संवादकौशल और आत्म-प्रबोधन का भाव विकसित होने में भी मदद मिलती है। ट्यूटोरिल्स के माध्यम से अध्यापक-प्रशिक्षकों को विद्यार्थियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपनी पाठ्यचर्या में प्रशिक्षण देने की विधि को किस प्रकार उसकी रूपरेखा फिर से बनाई जाए इसके लिए भी एक बहुमूल्य अवसर मिल जाता है।

जिन बहुमूल्य गतिविधियों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है निश्चय ही एक व्यवसाय के रूप में न केवल उनसे अध्यापन को अपना गौरव और प्रतिष्ठा ही प्राप्त होती है वरन्, यह भी सिद्ध करने का अवसर रहता है कि यह व्यवसाय अपनेआप में एक अत्यंत सम्मानजनक व्यवसाय है; साथ ही अध्यापक शिक्षा देने वाले संस्थानों के लिए यह अनिवार्य भी हो जाता है कि वे इस नवीनतम स्वयंसिद्ध (स्टेट आफ् दि आर्ट) प्रौद्योगिकी और नई रणनीति को अपनाएं ताकि विद्यार्थी-अध्यापक ज्ञान और अध्यापन-कौशल के क्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर सकें और उन मूल्यों को अपना सकें जो आज के युग के लिए प्रासंगिक हैं।

कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पीछे कोई एक निश्चित दृष्टि न हो और उसके उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए आधार-भूत ढांचागत सुविधाएं तथा विभिन्न स्त्रोतों से विभिन्न प्रकार का योगदान न मिलता रहे। यहां प्रस्तुत मानक और मानदंडों को निर्धारित करने के पीछे वस्तुतः अध्यापक शिक्षा का यही दर्शन और वे उच्च आदर्श ही हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

इस दस्तावेज में माध्यमिक शिक्षा से सम्बधित उन संस्थानों द्वारा अपनाए जाने वाले मानक और मानदंड प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो शिक्षा-स्नातक (बी० एड०) की उपाधि के लिए नियमित कार्यक्रम चलाते हैं। ये मानक और मानदंड उन सभी संस्थानों पर लागू रहेंगे जो संस्थान में नियमित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे वह कार्यक्रम उस संस्थान का अकेला ही शिक्षा कार्यक्रम हो अथवा उस संस्थान द्वारा दूसरे अनेक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में से कोई एक ही क्यों न हो। ये मानक और मानदंड संस्थानों की मान्यता, पाठ्यक्रमों की अनुमति तथा निर्धारित सीटों से अधिक अतिरिक्त सीटों के प्रश्न पर विचार करने के लिए लागू रहेंगे। मानकों का उल्लेख दो वर्गों के अंतर्गत किया

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
267

गया है-यथा (1) अनिवार्य एवं (2) अपेक्षित। अनिवार्य मानकों में वे न्यनतम निर्धारित अपेक्षाएं हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारा संबंधित संस्थान/पाठ्यक्रम की मान्यता/अनुमति तथा निर्धारित संख्या से अधिक अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति के लिए पात्र होने की दृष्टि से सभी संस्थानों द्वारा जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है, और (2) अपेक्षित मानकों का अर्थ उनसे है, कम से कम उचित अवधि में जिनका लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में संस्थानों को सतत प्रयत्न करते रहना आवश्यक है।

इस दस्तावेज में आधारभूत ढांचागत शीर्षक के अन्तर्गत भूखंड, भवन, स्थान, कमरों, पुस्तकालय आदि के सम्बन्ध में जिन अनिवार्य अथवा अपेक्षित मापों का उल्लेख किया गया है, आशय यही है कि वे लगभग उतनी ही होनी चाहिए और उनका उल्लेख मात्र मार्गदर्शन की दृष्टि से ही किया गया है। इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि कमरे आदि इतने आकार के अवश्य रहें, जिसमें अपेक्षित संख्या में विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य बिना किसी कठिनाई, सुचारु रूप से चलता रह सके।

2.0 मानव संसाधन :

2.1 अध्यापक वर्ग

अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात — 1:10

उदाहरण के लिए

60 विद्यार्थियों के लिए —6 अध्यापक तथा 1 प्राचार्य/प्रधान

120 विद्यार्थियों के लिए —12 अध्यापक तथा 1 प्राचार्य/प्रधान

(अध्यापक-विद्यार्थियों के अनुपात की गणना में प्राचार्य/प्रधान की गणना नहीं की जानी चाहिए)।

अध्यापकवर्ग की योग्यताएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनके द्वारा कम से कम दो विशेष पद्धतियों से प्रशिक्षण देना संभव हो सके।

2.2 अध्यापक वर्ग की विशेष योग्यता तथा शैक्षिक योग्यताएं :

6 अध्यापक (60 विद्यार्थियों के लिए) इस प्रकार से रहेंगे : सामान्य शिक्षा विषयों के लिए रीडर/प्राध्यापक (लेक्चरर)-3 शिक्षण पद्धति विषय के अध्यापक-प्रत्येक के लिए 1; उनके अतिरिक्त कला/संगीत/शिल्पकला आदि के लिए अंशकालिक अध्यापक।

पद	संख्या	विशेष योग्यता	योग्यताएं
1. प्राचार्य/प्रधान	1	शिक्षा	शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री सहित वि०वि०अ० आयोग के मानकों के अनुसार तथा अध्यापन, शोधकार्य/प्रशासन में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में हो।
2. रीडर/प्राध्यापक (लेक्चरर)	3	शिक्षा	शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री सहित वि०वि०अ० आयोग के मानकों के अनुसार, संबंधित विद्यालय विषय में एम०ए० (शिक्षा) /एम०एड०/स्नातकोत्तर डिग्री, अध्यापक शिक्षा संस्थान में 5 वर्ष के अध्यापन तथा शोधकार्य का अनुभव, किसी भी विषय में पी०एच०डी०। शिक्षा विषय में पी०एच०डी० को प्रधानता।
3. प्राध्यापक (लेक्चरर)	2	पद्धति विषय	वि०वि०अ० आयोग के मानकों के अनुसार तथा विद्यालय स्तर के विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री एवं शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।
4. प्राध्यापक (लेक्चरर)	1	पद्धति विषय/ शारीरिक शिक्षा योग्यताएं	उपर्युक्त के अनुसार/शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री
5. कार्य अनुभव में प्रशिक्षक	1	कृषि, औद्योगिक अथवा अन्य शिल्प	शिल्प में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा
6. कला, संगीत तथा अभिनय कला प्रशिक्षक	1	ललित कला, संगीत तथा अभिनय कला	ललित कला/संगीत-अभिनय कलाओं में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

268

2.3 सहायक तकनीकी कर्मचारी-वर्ग

पद	संख्या	क्षेत्र	योग्यताएं
1. लायब्रेरियन/सहायक लायब्रेरियन	1	पुस्तकालय विज्ञान	वि०वि०अ० आयोग के मानकों के अनुसार तथा योग्यताएं (प्राध्यापक पद के लिए निर्धारित)
2. व्यावसायिक सहायक	1	पुस्तकालय विज्ञान	वि०वि०अ० आयोग के मानकों और योग्यताओं के अनुसार
3. तकनीकी सहायक	1	विज्ञान/तकनीकी विषय	विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताएं

2.4 प्रशासकीय कर्मचारी-वर्ग

पद	संख्या	योग्यताएं
1. कार्यालय कर्मचारी-वर्ग	2	विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानकों के अनुसार। एक व्यक्ति कम्प्यूटर संचालन में कुशल अपेक्षित
2. सहायक कर्मी (हेल्पर)	1	राज्य सरकार के मानकों के अनुसार

2.5 कर्मचारी-वर्ग की नियुक्ति की विधि

मुख्य विषय पढ़ाने वाले अध्यापक-वर्ग की नियुक्ति पूर्ण-कालिक और नियमित की जाएगी। प्रारंभ में सहायक शैक्षिक, प्रशासकीय तथा तकनीकी वर्ग के कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियां अंशकालिक आधार पर हो सकती हैं। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्तियां वि० वि० अ० आयोग,/ विश्वविद्यालय/सरकार के नियमों के अनुसार विधिवत् गठित चयन समितियों द्वारा ही की जाएंगी।

3.0 आधारभूत ढांचागत साज-सामान

अध्यापक शिक्षा संस्थान ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां का वातावरण शोरगुल से मुक्त हो। यह स्थान अपेक्षाकृत प्रदूषण-मुक्त भी होना चाहिए। यहां परिवहन तथा संचार माध्यमों की अच्छी सुविधाएं रहनी चाहिए साथ ही यहां बिजली-पानी उपलब्ध रहना चाहिए। जिस भूखंड का चयन किया जाए उसमें संस्थान के भवन के लिए पर्याप्त स्थान के साथ ही भविष्य में विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान रहना चाहिए तथा खेल और खेल क्रीड़ाओं (स्पोर्ट्स) का आयोजन करने के लिए काफी जगह होनी चाहिए।

3.1 निर्मित स्थान/क्षेत्र

60 विद्यार्थियों के संस्थान की ईकाई के लिए, कक्षाओं के कमरों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा प्रशासकीय खंड के लिए भवन में निम्नलिखित स्थान रहना चाहिए :

अनिवार्य	संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3
1. कक्षाओं के कमरे	2	प्रत्येक 60 वर्ग मीटर
2. बहुउद्देश्यीय कक्ष	1	100 वर्ग मीटर
3. हाल	1	125 वर्ग मीटर
4. कम्प्यूटर, मनोविज्ञान तथा प्रायोगिक विज्ञान के लिए बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला	1	लगभग 100 वर्ग मीटर+भंडारण के लिए 45 वर्ग मीटर स्थान
5. 30 विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की सुविधाओं सहित पुस्तकालय	1	50 वर्ग मीटर
6. कार्य अनुभव-ग्रहण कक्ष	1	60 वर्ग मीटर
7. प्रसाधन (शौचालय आदि) की सुविधा सहित प्राचार्य का कक्ष	1	25 वर्ग मीटर

Attested

12/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

269

IndiaCode

1		2	3
8.	कर्मचारी कक्ष	1	60 वर्ग मीटर
9.	कार्यालय कक्ष	1	40 वर्ग मीटर
10.	भंडार कक्ष	1	25 वर्ग मीटर
11.	महिला विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त स्थान सहित बैठक कक्ष	1	
12.	छात्रों, छात्राओं और अध्यापक-वर्ग/कर्मचारी-वर्ग के लिए अलग-अलग प्रसाधन कक्ष		25 वर्ग मीटर
13.	कम से कम दो स्थानों पर पीने के पानी की सुविधा जहां कार्य-समय के दौरान पीने का पानी हर समय उपलब्ध रहे।		
	अपेक्षित		
1.	परिगोष्ठी कक्ष	1	50 व्यक्तियों के लिए 100 वर्ग मीटर
2.	विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अलग-अलग प्रयोगशालाएं	प्रत्येक के लिए–1	75 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर भंडारण के लिए
3.	छोटे-मोटे समूहों में काम करने के कक्ष	2	25 वर्ग मीटर
4.	एक बड़ा बहुउद्देश्यीय हाल	1	150 वर्ग मीटर
5.	विद्यालय स्तर के विषयों के लिए अलग-अलग कमरे	1	30 वर्ग मीटर
6.	अध्यापकों के लिए अलग-अलग कमरे	1	20 वर्ग मीटर
7.	जलपान गृह, यदि सभव हो तो सहकारी आधार पर		
3.2	खेल के मैदान		
	अनिवार्य		
	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वालीबाल, बास्केटबाल, थ्रोबाल आदि के लिए खुला मैदान		500 वर्ग मीटर
	अपेक्षित		
	(क) बाहर मदानों में खेले जाने वाले बड़े-बड़े खेलों- फुटबाल, क्रिकेट आदि के लिए मैदान		1000 वर्ग मीटर
	(ख) इंडोर खल कक्ष		

3.3 आवासीय क्षेत्र

अपेक्षित

प्राचार्य और कर्मचारियों के लिए आवास गृहों (क्वार्टर्स) की व्यवस्था होनी चाहिए, पुरुष और महिला दोनों वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं होनी चाहिए।

3.4 फर्नीचर

		अनिवार्य	अपेक्षित
1.	विद्यार्थियों के लिए डेस्क और सीटें	प्रत्येक के लिए–1	कुछ अतिरिक्त
2.	हाल मंच	2	4
	कुर्सियां	100	150
3.	प्राचार्य, अध्यापकों, लायब्रेरियन तथा अन्य कर्मचारी-वर्ग		सभी कमरों में आवश्यकतानुसार
4.	प्रयोगशाला में काम की मेजें	2 बड़े आकार की प्रत्येक 1.25 मीटर × 0.9 वर्ग मीटर	3 इससे भी बड़े आकार वाली

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

270

IndiaCode

	अनिवार्य	अपेक्षित
5. 3000 पुस्तकों के लिए बुक-सेल्वस		
6. वाचनालय में 30 विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की मेजें और कुर्सियां	30 कुर्सियां	40 कुर्सियां
7. कक्षाओं के कमरों और प्रयोगशाला के लिए ब्लैक बोर्ड	प्रत्येक के लिए–1 (2.5 मी०×1 मी०)	प्रत्येक कक्षा 1–अतिरिक्त बोर्ड (3.5×1 मी०)
8. सूचना-पट्ट एवं बुलेटिन बोर्ड		
9. लोहे की आलमारी/केबिनेट	प्रत्येक अध्यापक के लिए–1	इसके अतिरिक्त बीच की एक लम्बी मेज (सेंट्रल टेबल)
10. भंडारण रैक	आवश्यकतानुसार	
11. लायब्रेरियन के लिए फ़ाईलिंग कैबिनेट	एक	

3.5 उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) :

3.5.1 विज्ञान प्रयोगशाला

अनिवार्य :

संस्थान में वैज्ञानिक यंत्र और उपकरणों के कई सेट उपलब्ध रहने चाहिए जो माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित सभी प्रकार के परीक्षण करने और प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक हैं। रसायन/रसायनिक द्रव्य भी अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध रहने चाहिएं। इसका प्रयोजन यही है कि विद्यार्थी-अध्यापकों को विद्यालय स्तर पर विज्ञान की कक्षाओं में प्रायोगिक परीक्षण करने में निपुणता प्राप्त हो सके।

3.5.2 मनोविज्ञान प्रयोगशाला

अनिवार्य

शिक्षा-मनोविज्ञान-बुद्धि-परीक्षण (अमौखिक, मौखिक प्रस्तुति), प्रवृत्ति परीक्षण, सृजनात्मक-शक्ति परीक्षण, व्यक्तित्व का स्वरूप, मनोवृत्ति परीक्षण, रुचि-अभिरुचियों का सूचीकरण आदि से सम्बन्धित परीक्षणों के लिए साधारण यंत्र-संयंत्र।

3.5.3 शिक्षा–प्रौद्योगिकी

अनिवार्य

रेडियो–1, टी० वी०–1, ओडियो कैसेट रिकार्डर–1, स्लाइड-कम-फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर–1, ओवरहेड प्रोजक्टर–1, चार्ट तथा स्लाइड तैयार करने की कला-सामग्री, ट्रांसपेरेंसीज का सामान, वी० सी० आर०–1, एम्प्लीफायर–1, लाउडस्पीकर-2, माइक्रोफोन–2, काफी संख्या में खाली आडियो-विडियो कैसेट।

अपेक्षित––स्टिल कैमरा–1, वीडियो कैमरा–1, कम्प्यूटर पी० सी०–1.

3.5.4 पुस्तक एवं पत्र–पत्रिकाएं :

	अनिवार्य	अपेक्षित
पाठ्यपुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों सहित पुस्तकें	3000	5000
व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाएं	5	10

पुस्तकों में प्रतिवर्ष कम से कम 200 पुस्तकों की वृद्धि होती रहनी चाहिए। इनमें वे पाठ्यपुस्तकें भी हैं जिनकी अतिरिक्त तथा अनेक प्रतियां रहती हैं।

4.0 शैक्षिक अवदान :

4.1 प्रवेश

4.1.1 पात्रता

अनिवार्य

प्रत्याशी के पास किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि/स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए जिसकी परीक्षा में कुल मिलाकर उसने कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। साथ में यह भी अनिवार्य है कि उसने पहली तथा/अथवा दूसरी उपाधि के स्तर पर विद्यालय स्तर की शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले कम से कम दो विषय ले रखे हों।

अपेक्षित

जहां भी उपलब्ध हों, वांछनीय तो यही होगा कि प्रवेश केवल उन्हीं प्रत्याशियों तक सीमित रखा जाए जिन्होंने पहली अथवा दूसरी उपाधि की परीक्षाओं में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।

4.1.2 चयन प्रक्रिया

प्रवेश के लिए प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा। योग्यता का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत किसी अभिकरण–संस्थान, विश्व-विद्यालय अथवा राष्ट्रीय/राज्य स्तर-द्वारा ली गई योग्यता-निर्धारण परीक्षा तथा/या चयन परीक्षा तथा/या साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। वांछनीय तो यह होगा कि जहां भी चयन परीक्षा आयोजित की जाए जिसमें विद्यालय स्तर के विषय, सामान्य-ज्ञान, सामान्य जानकारी तथा सम्प्रेषण-योग्यता एवं कौशल की परीक्षा सम्मिलित रहे।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

सीटें संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार आरक्षित रखी जाएं ।

4.2 पाठ्यचर्या में शिक्षण :

4.2.1 (1) प्रति सत्र कार्य दिवसों/घंटों की संख्या

अनिवार्य

200 दिन अथवा 1200 घंटे

अपेक्षित

210 दिन अथवा 1260 घंटे

(2) प्रवेश 10 दिन

प्रवेश से सम्बन्धित सभी काम सत्र के प्रारंभ होने से पहले शुरू हो जाना चाहिए और सभी औपचारिकताएं संस्थान के फिर से खुलने के बाद 10 कार्य-दिवसों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए ।

(3) शिक्षा-दिवसों में अभ्यास शिक्षण का कार्य भी सम्मिलित रहेगा ।

अनिवार्य 180 दिन (1080 घंटे)

अपेक्षित 190 दिन (1140 घंटे)

(4) परीक्षा दिवस 10 दिन (60 घंटे)

(5) यदि सप्ताह 6–कार्य दिवसों का है, तो एक दिन कम से कम 6 घंटे की अवधि का रहेगा ।

5–दिवसीय सप्ताह होने पर प्रतिदिन, घंटे अनुपात में रहेंगे (7.2)

4.2.2 पर्यवेक्षक की उपस्थिति में अभ्यास-शिक्षण का कार्य

वांछनीय तो यह होगा कि हर सेक्शन में दो-दो से अधिक विद्यार्थी न भेजे जाएं, किन्तु यह इस पर निर्भर करेगा कि किसी संबंधित विद्यालय में अभ्यास शिक्षण के लिए कितनी कक्षाएं/कितने सेक्शन उपलब्ध रहते हैं । एक विद्यार्थी प्रतिदिन दो पीरियड में पढ़ाने का काम कर सकता है और दूसरे अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने के समय एक पाठ के दौरान उपस्थित रह कर पठन-पाठन की विधी को देख सकता है। कम से कम 50 प्रतिशत पाठों के पढ़ाने का पूरा-पूरा काम संस्थान के अध्यापकों तथा विद्यालय के अध्यापकों की देख-रेख में होना चाहिए और उसके आधार पर विद्यार्थी को आवश्यक जानकारी मौखिक रूप से, साथ ही लिखित टिप्पणी के रूप में दी जाने चाहिए। हर एक विद्यार्थी को पद्धति से सम्बन्धित हर एक विषय में कम से कम 20 पाठ पढ़ाने होंगे और उसका रिकार्ड रखना होगा । अभ्यास-शिक्षण के कार्य में प्रशिक्षु-अध्यापकों (इटर्नी टीचर्स) के रूप में काम करने के लिए 2 से 4 सप्ताह की खंड-अवधि के लिए किसी विद्यालय में भेजा जाना सम्मिलित रहेगा ताकि अभ्यास प्रशिक्षण के काम के अतिरिक्त वे विद्यालय की अन्य गति-विधियों/कार्यक्रमों में भाग ले सकें ।

4.2.3 प्रायोगिक कार्य/क्रियाकलाप

आशा यह की जाती है कि संस्थानों द्वारा वर्ग क के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सभी कार्य और वर्ग ख के अन्तर्गत दी गई सूचनी में दिए गए यथासंभव अधिक से अधिक प्रायोगिक कार्य/क्रियाकलाप आयोजित करने की व्यवस्था की जाएगी । इन क्रियाकलापों में किए गए कार्य की जांच के लिए मानदंड सम्बन्धित विश्वविद्यालय परीक्षा लेने वाली निकाय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

वर्ग क	अनिवार्य	अपेक्षित
1. प्रत्येक सिद्धांत विषय के प्रश्नपत्र से संबंधित प्रायोगिक कार्य	प्रत्येक प्रश्नपत्र–1	प्रत्येक प्रश्नपत्र-2
2. वैज्ञानिक परीक्षण (विज्ञान विषय पढ़ान वाल विद्यार्थियों के लिए)	2	4
3. व्यक्ति संबंधी अध्ययनों (केस स्टडीज) सहित मनोवैज्ञानिक परीक्षण/जांच परीक्षाएं	3	6
4. अध्यापन-सामग्री का उत्पादन	4	6
5. पाठ्-योजनाओं एवं अध्यापन की तैयारी		
(क) विद्यालय में पढ़ाने की तैयारी के लिए	प्रत्येक पद्धति-विषय में–3	प्रत्येक पद्धति-विषय में–5
(ख) वास्तविक विद्यालय परिस्थितियों में अध्यापन-कार्य	17	20
6. सह-विद्यार्थी अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठों में उपस्थित रह कर पठन-पाठन विधि का अध्ययन	प्रत्येक विषय में 10	प्रत्येक विषय में 15

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

272

India Gold

	आवासीय क्षेत्र	अनिवार्य	अपेक्षित
7.	प्रदर्शन पाठों में उपस्थित रहकर अध्ययन	2	5
8.	प्रत्येक पद्धति विषय के लिए परीक्षा संबंधी वस्तुओं, यूनिट-परीक्षा तथा परीक्षा प्रश्न-पत्र बनाना		
	(क) विषयनिष्ठ (ओबजेक्टिव) वस्तुएं	10	20
	(ख) स्वल्प-उत्तर वस्तुएं	5	10
	(ग) प्रबंध के समान प्रश्न	5	10
वर्ग ख			
9.	किसी पाठ्य-पुस्तक की समीक्षा	1	2
10.	ट्यूटोरियल लेख	3	5
11.	विद्यालय के किसी पक्ष पर रिपोर्ट लेखन	1	2
12.	दीवार-पत्रिका-समूह कार्य	2	4
13.	महत्वपूर्ण दिवसों पर समारोहों का आयोजन	अधिकांश	—
14.	सामुदायिक कार्य	1	
15.	सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद के कार्यक्रमों में भाग लेना (समूह कार्य)	2	3
16.	श्रव्य-दृश्य यंत्रों के संचालन का अभ्यास	—	संस्थान में उपलब्ध सभी यंत्रों, यंत्रों के संचालन का यथासंभव अधिक से अधिक अभ्यास किया जाए
17.	कुछ सिद्धांत पाठ्यक्रम से संबंधित अनुभव-ग्रहण करने का काम	1	2
18.	स्थानीय प्रतिभा और परिस्थितियों के अनुसार पाठ्येत्तर अन्य वर्ग व व्यक्तिगत कार्यक्रम	—	यथासंभव अधिक से अधिक

5.0 वित्तीय प्रावधान

5.1 वृत्तिदान एवं आरक्षित निधि

माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों के पास आवर्ती एवं अनावृत्ति खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त धनराशि रहनी चाहिए ।

सरकार/स्थानीय स्वायत्त प्रशासन/विश्वविद्यालय के अधीन संस्थानों द्वारा संस्थान के खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त धनराशि मिलते रहने का आश्वासन दिया जाना चाहिए ।

निजी प्रबंध के अन्तर्गत स्थापित संस्थानों के पास 5 लाख रुपए अथवा विश्वविद्यालय या सरकार के मानकों के अनुसार निर्धारित धन राशि रहनी चाहिए । इसके अतिरिक्त उनके पास इतनी आरक्षित निधि अवश्य रहनी चाहिए जिससे वे अपने सभी वर्गों के कर्मचारियों को कम से कम तीन माह के वेतन का भुगतान कर सकें ।

5.2 वित्तीय प्रबंध

संस्थान के वार्षिक बजट में पर्याप्त प्रावधान रखा जाना चाहिए । संस्थान की निधि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके अधीन किसी सहयोगी बैंक में जमा रखा जाना चाहिए ।

संस्थान द्वारा केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है ।

5.3 वेतनमान का ढांचा :

संस्थान को अध्यापक-वर्ग तथा गैर अध्यापक-वर्ग सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार वि० वि०अ० आयोग केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान अपनाने होंगे ।

5.4 संस्थान में निम्नलिखित साज-सामान के लिए निधि :

वैज्ञानिक परीक्षण एवं क्रियाकलाप
मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा
शिक्षा प्रौद्योगिकी
कार्यशालाएं एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी
कला तथा संगीत
खेल तथा खेल क्रीड़ाएं (स्पोर्ट्स)
पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं

आपात खर्च :

अनिवार्य	प्रति विद्यार्थी	600 – रु०
अपेक्षित	प्रति विद्यार्थी	900 – रु०

उपस्कर (यंत्र-संयंत्र) एवं पुस्तकें :

अनिवार्य	1.00 लाख रु०
अपेक्षित	2.00 लाख रु०

5.5 शुल्क की दरें :

(1) यदि प्रवेश-परीक्षा के लिए कोई शुल्क लिया जाता है तो वह उस परीक्षा को आयोजित करने पर होने वाले अनुमानित खर्च के अनुरूप ही होना चाहिए । इस शुल्क की यदि कोई अतिरिक्त राशि बची रह जाती है तो उस राशि का उपयोग अध्यापक शिक्षा संस्थानों की शैक्षिक गतिविधियों और/अथवा विद्यार्थी कल्याण के लिए किया जाना चाहिए ।

(2) ट्यूशन तथा अन्य शुल्क :

संस्थान द्वारा अपनाई जाने वाली शुल्क की दरें समय-समय पर केन्द्रीय राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के रूप में ही होनी चाहिए । तथापि, किसी भी स्थिति में शुल्क के रूप में विद्यार्थी से वसूल की गई कुल वार्षिक राशि सम्बन्धित पाठ्यक्रम पर संस्थान द्वारा किए गए कुल आवर्ती खर्च की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए । वांछनीय तो यह होगा कि गरीब वर्ग के कुछ सुयोग्य विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पढने की व्यवस्था रहे ।

6.0 उसी संस्थान द्वारा एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था :

यदि अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित उसी संस्थान द्वारा उसी भवन परिसर में एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं तो उस स्थिति में भवन, हाल पुस्तकालय, उपस्कर, छात्रावास, खेल के मैदान आदि के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का यथोचित रूप में सभी मिलकर आवश्यक लाभ उठा सकते हैं ।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

274

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

New Delhi-110016, the 29, December 1998

F. No. 28-11/95-NCTE:—In exercise of the powers conferred under clause (f) and (h) of sub-section (2) of the Section 32 read with Sections 14 and 15 of the NCTE Act, 1993 (No. 73, 1993) the National Council for Teacher Education hereby makes the following Regulations to further amend the NCTE (application for recognition, the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions a permission to start new course or training) Regulations, 1995 issued vide F. 28-11/95 NCTE dated December 29, 1995 and amended vide notification of even number dated the June 24, 1997.

1. These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (application for recognition, the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) (Amendment) Regulations, 1998.

2. They shall come into force with immediate effect.

3. The existing three Appendices, namely, Appendix II(A), Appendix II(B) and Appendix II(C) to the National Council for Teacher Education (application for recognition, the manner for submission, determination of conditions for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations 1995 and referred to in sub-para (b) of para 8 and sub-para (b) of para 9 of the said Regulations 1995 shall be substituted by the enclosed Appendices, namely :—

Appendix II(A) : Norms and Standards for Teacher Education Institutions—Pre-primary (Early Childhood Care and Education).

Appendix II(B) : Norms and Standards for Teacher Education Institutions—Elementary.
Appendix II(C) : Norms and Standards for Teacher Education Institutions—Secondary (B. Ed).

Surendra Singh,
Member Secretary

11—519 GI/98

Appendix—I

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS

PRE-PRIMARY (EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION)

1. Preamble

Early Childhood Care and Education (ECCE-a substitute nomenclature, a broader and more inclusive concept than Pre-primary Education) constitutes a crucial input for total child development. There are presently a wide variety of ECCE programmes like integrated Child Development Services, Early Childhood Education Grant-in-aid scheme, Creches and Day Care Centres, Balwadis and Pre-primary schools. Correspondingly, there are various types of training courses for ECCE functionaries like pre-primary teachers/nursery teachers and Anganwadi/Balwadi workers. The Programmes related to the former category are primarily pre-service in nature whereas those for the latter are in the continuing education mode. Thus ECCE training programmes prepare personnel to work in both formal and non-formal settings. These course vary in their orientation and duration (which ranges from a few months to 3 years) and the level at which they are offered (for entrants with less than class X up to graduate qualification). The norms and guidelines given here relate specifically to pre-service teacher education programmes at the pre-primary level catering to children in the age group-3-6 years.

The aim of pre-primary education is to promote a healthy, happy, humane, autonomous learning child and not to teach the child reading, writing and arithmetic as is often the practice. In keeping with the development and process oriented objectives of early childhood education, teacher education programmes in this area should aim at developing in the student teachers concepts, competencies, attitudes and skills related to implementation of a developmentally appropriate curriculum based on child-centred, activity and play based, approach to ECCE. The areas to be encompassed in the curriculum would be cognitive and language development, health and nutrition, socio-emotional development, physical and psychomotor development, aesthetic development, creativity and play, programme planning and school organisation, community mobilisation and participation. Within this broad guideline, the curriculum could be flexible to accommodate differing approaches and schools of thought on ECCE. However, it should be ensured that the three R's

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

275

are not forced upon children and inappropriate-for-age activities like text books, tests, interviews, home work, and competitive sports are not introduced.

Consistent with the NPE thrust on ECCE programmes, pre-primary teacher education programmes need to be qualitatively strengthened and also expanded to provide wider access. Presently many pre-school teacher education programmes are in need of being properly oriented to the basic philosophy, theory, content and methodology of early childhood education. The institutions also need to be equipped with the necessary infrastructure, human resources and academic inputs to deliver quality teacher education.

The norms and standards that follow are formulated with a view to ensure quality and reasonable uniformity with respect to the different aspects of the teacher education programmes. They specify the details related to conditions required for recognition, permission and additional intake of seats for any course or training in pre-service teacher education. These norms and standards could be applied to similar/equivalent teacher education programmes carrying different nomenclatures. The norms cover Human Resources, Physical Infrastructure, Academic Inputs and Financial Provisions and the same have been specified while keeping in mind the contextual realities where the minimum has been specified as essential. The desirable levels have also been suggested, provision of which will certainly enhance the quality of any ECCE training programme. The norms and standards apply for institutions offering exclusively pre-primary teacher education programmes as well as those which offer teacher education programmes covering other stages of education also.

The measurement of land, building, space, rooms, library etc. mentioned in the document under Physical Infrastructure as essential or desirable are to be treated as approximate and to serve as a guide. The main purpose is to ensure that the rooms etc. be of a size in which the teaching-learning of required number can be conducted conveniently and comfortably.

2. Human Resources

2.1. Teaching Staff

The teacher-student ratio should be such as to provide for a tutorial approach with emphasis on supervised field work and practical activities. It is essential that this ratio be 1:12 (1:10 desirable) for an intake of 40 students each year with the staff comprising of a Principal, 6 full-time and 2 part-time teachers for 80 students (I and II year). Part-time teachers may be speciality teachers in the areas of fine arts (craft, painting, pottery, sculpture etc), performing arts (drama, music, dance, etc.) science (life, environmental, physical) etc. All teachers should have suitable specialisation in ECCE. All general/basic teaching staff should be appointed on full time regular basis after selection by a duly constituted selection committee. Specialist teachers may be engaged on a part-time basis.

Designation	Essential Qualifications	Desirable Qualifications
Principal	M. Sc. (Home Science) with Human Development/Child Development/ECCE/ M. Ed. or M A. Education with ECCE and 5 years teaching experience.	Ph D. in Human Development/Child Development/ECCE with 5 years of teaching experience.
Post graduate teachers/Lecturers Essential 6 full time Desirable : 8 full time	M. Ed. /M.A. Education with ECCE 1 Lecturer with M. A. Developmental Psychology.	M.Sc. Child Development/Human Development/ ECCE with 3 years of teaching experience.
Part-time teachers : 2	Specialisation in Fine Arts/Performing Arts/Science	
Library Assistant cum Technician	Certificate/Diploma in Library Science or B. Lib.	M. Lib. Training as A V. technician/in Computer Education.

Note : For those who are already employed or where qualified Principal and teachers with training in ECCE are not available, the staff should attend at least two refresher training programmes of minimum 21 days duration each in regular ECCE or the Distance Education Programme in ECCE by IGNOU.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

276

2.2. Administrative Staff

Designation	Essential
UDC. cum Office Superintendent	One
LDC/Typist	One
Tech/Lib Asst./Store Keeper/Comp. Operator	One
Helpers	Two
Total	Five

3. Physical Infrastructure

3.1. Space and Building

3.1.1. Land area and location

Essential

There should be a total land area of approximately 4000 sq. m. for both in-door and out-door activities with adequate lighting, ventilation, safety and sanitation. There should be sufficient open space for garden (flowering plants, herbal plants) and playground. The institutional area should be located in a relatively noise-free and pollution-free area. There should be good transportation and communication facilities and availability of water, electricity and toilets. Cost effective and innovative ways of utilising space should be adopted by multi-purpose use, following local cultural norms, and use of appropriate furniture. It is desirable that provision be made for quarters for staff and hostel for students where 30 % are out-station students.

3.1.2. Instructional area

Institutional building standards should promote effective use of space, air, sunshine and shade by adopting indigenous building techniques without compromising on safety. It should have provision for theory classrooms, space for Indoor activities, a large multi-purpose hall to accommodate the wide range and variety of teaching-learning activities related to art and craft, music and movement, material production, educational technology etc, and library/learning resource centre. Theory classes may be for a maximum of 50 student teachers in a section but preferably for 40.

Item	Essential	Desirable
Classrooms	2 (45 sq. mts. each)	4(60 Sq. mts. each)
Activities related to art, craft, music, movement, material production and educational technology	One large multipurpose hall 150 sq. mts	Hall (100 sq. mts.) and separate rooms for these activities.
Learning Resource Centre*	One spacious room (75 sq. mts.)	Separate room for library, Educational Tech. Computer Lab.
Indoor games/Physical education/sports, athletics	Reasonable outdoor space for physical education, sports and athletics	Additionally, a separate room for indoor games.

*Learning Resource Centre : Instead of having separate library, educational technology and psychology laboratory facilities establishing a composite Learning Resource Centre be considered as an alternative. The Learning Resource Centre aims to provide a setting wherein teachers and students can use a variety of materials and resources to support and enhance the teaching-learning process. The centre should include :

*Books, journals and magazines

*Children's books.

*Audio-visual equipment-TV, VCR, tape recorder, slide projector.

*Audio-visual aids, video-audio tapes, slides, films.

*Teaching aids-charts, pictures.

*Developmental assessment check lists and measurement tools.

*Computer, Xerox machine.

3.1.3. Laboratory School

It is desirable to have a pre-primary school/ECCE Centre attached to the training institution. However till such time that the institution has its own pre-primary school the institution may adopt a nearby school or a cluster of schools by signing a mutual memorandum of understanding for adoption.

3.1.4 . Office accommodation

Description	Essential	Desirable
Principal's Room	20 sq. m. approx.	25 sq. m. approx.
Teachers Common Room	40 sq. m. approx.	75 sq. m. approx.
Office Room	20 sq. m. approx.	30 sq. m. approx.
Store Room	20 sq. m. approx.	30 sq. m. approx.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

277

3.1 5. Amenities

Essential	Desirable
A common room for women students (minimum floor area of 50 sq. m.)	A Common room each for men and women students.
Separate toilets for women and men trainees	Additional separate toilet for staff
Drinking water facilities at least two places with drinking water available at all times during working hours	Water coolers Desert coolers for Principal's room, staff room, library, common room.

3.1.6. Residential Area

Student's Hostel

Desiraable

A hostel for women students. A hostel for men students is also desirable if the students come from outside the municipal area. The hostel should have single seated or two seated rooms and kitchen, dining and toilet facilities.

Staff Quarters

Desirable

Quarters may be provided for at least 50% teaching staff apart from that of the Principal's accommodation. Non-teaching staff whose services are required at odd times should also be provided accommodation near the campus. In those areas, where there is a scarcity of private rented accommodation, quarters should be provided for all the staff.

3.1.7 Play Fields

Essential

The institution shall have reasonalbe open space (about 1000 sq. m.) to engage at least 50% of the students at a time in active outdoor games like volley ball, basket ball, badminton, throw ball, kho-kho, Kabadi, and other indigenous games.

Desirable

It is desirable to have play grounds for more active and organised outdoor games such as ball games, athletics and rooms for indoor games. It is also desirable to have some space for gardening with flowers, fruit, and herbal plants with provision of trees on the road side and other suitable places.

3.2 Furniture

All rooms in the institutional building should have appropriate and adequate furniture (minimum as indicated below). The furniture should fit the purpose and function of the room. It should also suit the different teaching-learning modes adopted, like activity, demonstration, lecture, discussion, group work, project work. The furniture should be light, movable and multi-purpose that could be arranged in different ways as required. Essential furniture required is as follows :

—Chairs and Tables for students, teachers as required.

—Sufficient chairs for dias, students, teachers and guests in Hall.

—Work Tables, Stools, Almirahs.

—Chairs, Tables for all sraff as needed.

—Book Shelves, Tables, Chairs, Periodicals Racks, Filing Cabinets in sufficient number in Library.

—Notice Boards, Bulletin Boards, Blackboards.

—Storage Racks.

—Dari, Coir Mat, Tables of appropriate dimensions for Art/Music activities.

3.3 Equipment and materials for different activities

3.3.1. Teaching—Learning materials and Aids

The equipment and materials should be suitable and sufficient in quality and quantity for the variety of activities planned in the programme. These include the following.

Essential

Educational kits, models, play materials, simple books on different topics (songs, games, activities, work pages), puppets, picture books, photographs, blow-ups, charts, maps, flash cards, hand books, pictures, pictorial representations of developmental characteristics of childre .

Desirable

Kit for determining physical health status, equipment for preparing supplementary diet, First Aid Kit.

3.3.2. Equipment, Tools, Raw material for aids, play material and arts and crafts activities.

Essential

One set of wood working tools, one set of gardener's tools, raw materials and equipment required for

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

toy making, doll making, tailoring, dress designing, puppetry, material for preparation of charts, models and other practical activities to be done by the student teacher-art material, waste material, stationery (chart papper, mount board etc.), tools like scissors, scales etc., cloth.

Desirable

Multiple sets of hand tools and other equipment for activities described above such as sewing machines etc.

3.3.3. Audio visual equipment

Essential

TV, VCR, Audio Cassette Recorder, Slide Projector, blank audio video cassettes, audio visual aids, video-audio tapes, slides, films, charts, pictures.

Desirable

Computer and other accessories.

3.3.4. Music and Movement

Essential

Simple musical instruments such as Harmonium, Tabla, Flute, Manjira and other indigenous instruments.

Desirable

Dholak, Drum, Tambourine, Triangles, Rhythm Cymbals, Ghungroos, any other locally available or improvised teacher made material.

3.3.5. Books, Journals and Magazines

Essential

A minimum of 1000 books on relevant subjects should be available during the first year of establishment of the institution and a reasonable number of standard books be added every year. The collection of books should include children's encyclopedias, dictionaries, reference books, on professional education, teachers' handbooks, books on and for children (including comics, stories, picture & books).

The institution should subscribe to at least three journal of which at least one should be on professional education.

Desirable

The institution should have 2000 volumes initially and provision be made by adding around 75 books every year. It should subscribe to at least five journal, of which at least two should be professional.

3.3.6. Games and Sports

Essential

Adequate games and sports equipment for common indoor and outdoor games should be available.

Desirable

More than one set of materials for games and materials and equipment required for training in athletics.

4. Academic Inputs

4.1. Admission

4.1.1. Eligibility

Essential

Minimum qualification for admission to pre-primary teacher education programme (Two years) is Senior School Certificate/Intermediate (10+2) or equivalent examination with 45% marks.

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional/legislative provisions.

4.1.2. Selection Procedure

Students should be selected for admission on the basis of merit as determined by selection tests (comprehension, communication, general awareness) and interview to be conducted by managing body of the institution, university or national/state level agency approved by NCTE.

4.2 Working days.(Hours)

	Essential	Desirable
Number of working days (of 5 hours duration each)	200 (1000 Hours)	220 (of 5—6 hours each) (1100—1320 Hours)
Number of working for admission, administrative work, examination work etc.	20 (100 hrs.)	15 (75 hrs —5 hrs. per day)
Number of days/hours for curriculum transaction	180 (900 hrs.)	205 (1025 hrs.)
—Theory	400 hrs.	90 (450 hrs.)
—Practicals	500 hrs.	115 (575 hrs.)

Note : Practicals include practice teaching in the field in pre school centres, community centres, anganwadis/wadis (250 hrs) and practical work carried out within the institution like observations, peer teaching, preparation of teaching aids (250 hrs.). Some suggested details in respect of these two parts of practicals are given separately (4.5.1 and 4.5.2).

4.3. Content of the Course

Content should cover the following areas :

Historical development and status of Early Childhood and Care Education in India and its significance.

Philosphical foundations of ECCE.

Early Childhood Education-Development aspects and activities for 0 to 3, 3 to 6 and 6 to 8 years.

Programme planning and Classroom organisation.

Health and Nutrition.

School organisation and Management.

Community Education and Mobilisation.

Methods and Materials.

More weightage should be given to understanding of development aspects and activities pertaining to early childhood.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली

279

In addition to the above, co-curricular activities for student teachers' personality development should also be organised.

4.4. Curricular transaction

Apart from direct teaching methods like lectures and demonstrations, curricular transaction should emphasise the following approaches and methods.

* Participatory methods : small and large group discussions, role play, games, quiz, working in simulatory conditions, material preparation, project work, hands - on experiences with children, organising activities like Balmela, community programmes etc.
* Self-learning methods - practicum and field work, preparation of reports, case studies, compilation of stories, songs and games, library work etc.
* Use of audio visual aids.
* Field visits and excursions.

4.5 Practicals

4.5.1. Practice Teaching

Essential—250 hours.

Desirable—275 hours. Approx. 60 sessions.

The student teachers should plan and carry out "practice teaching" in the pre schools/centres/anganwadis/balwadis not in time bond "lessons/periods" but in terms of full day programmes (school duration). This is to ensure training in time management and planning from a holistic perspective in identified pre-schools that offer prescribed play-way methodology. The terms 'teaching', 'lesson', 'class room' etc. should accordingly be understood in their proper developmental context. The practice teaching should be divided into phases, preferably 3 phases as follows :

* Phase 1 : Observation of classrooms in 'identified pre-school centres in the ratio of not more than 1 student teacher to 12 children. (20% of time)
* Phase 2 : Participatory observation of the classroom activities as aide (as a support to the regular teachers of the practising centres) (30% of time)
* Phase 3 : Independent working with children. Planning and conducting the classroom programme independently (internship 50% of time).

These phases should be closely supervised by the teacher education faculty. The supervision should include : Checking the lesson plans, feedback discussions, guidance for linking plans with theoretical inputs, monitoring and follow-up. The ratio for supervision at a given time should not be more than 1 faculty member to 6 student teachers.

The assessment should be continuous, based on self reports by the student teachers, observation reports by the faculty members and the pre-school personnel. The foci for assessment should be on planning, class organisation, preparation and use of teaching-learning materials, quality of interaction with children. Greater weightage should be given for internal assessment.

4.5.2. Practical work

Practicals, other than practice teaching, to be carried out by the student teacher include the following :

Essential :

A. Preparation/Compilation of Teaching-Learning Material

(a) Collection of 20 stories

(b) Collection of 20 games

(c) Preparation of teaching-learning materials as per list below :

Essential

* Four dolls making one family (parents and two children) Masks
* Puppets (one glove puppet and one stick puppet)
* Sequence cards (one set of four pieces)
* Cards for classification (52 playing cards can be used)
* Puzzles-jigsaw of 2, 3, 4, pieces (separately)
* Relationship cards
* Picture dominoes (any)
* Colour filters (three colours, each colour card should have different shape)
* Science toys
* Sensory kit : Feely bag (for sense of touch), smell boxes, sound boxes, Touch cards, Taste
* Musical toys (eg. Rattles, Rhythm sticks, Dumroo)
* Seriation cards (for size)
* First Aid Kit.

Desirable

Soft toys
Shapes/Figures for matching
Story chart (one)
Self corrective puzzles (Association and Oposites)
Balance
Visual discrimination trip
Sound discrimination strip
Flash cards

B. Skill Development

Art and Craft
Use of teaching - learning materials
Skills of communication

C. Observation of children - maintenance of cumulative records, progress cards etc.

D. Health and Nurtrition

First Aid

Planning and preparing appropriate diet and nutritive food items.

E. Field Visits (reports)

F. Case Study.

4.6 Assessment, Evaluation and Monitoring

Assessment, evaluation and monitoring should have the following components

(a) Assessment of student teacher's performance

(b) Evaluation of Training programme

Parameters for assessing student teacher's performance

Content knowledge (examination - oral and written)
Participation leve (continuous evaluation of practice teaching)
Involvement in the class room
Communication skills (verbal and non-verbal).
Planning and organisation skills.
Initiative and Innovativeness.
Capacity to relate with children, parents and community.

Evaluation of Training Programme

Courses and their transaction
Teaching methodology
Self-appraisal of teachers.
Courses and their transaction.
Teaching methodology.
Interaction with practising schools and centres.
Supervision and follow-up of practice teaching.
Methods and approaches for assessing student teacher's performance.

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
780

Provision, maintenance and utilisation of facilities.

Staff development programmes.

Teacher-student teacher ratio.

Extra curricular activities for student teachers.

Staff meeting for sharing of experiences.

5. Financial Provisions

5.1 Endowment and Reserve Fund

The institution should possess sufficient funds to meet the recurring and non-recurring expenses.

The government/local bodies/university maintained institutions should, as far as possible give an undertaing to provide adequate finance to meet the expenses of the institutions. The institutions under private management should have endownment funds as required by the State government/university norms. Besides, they should have a reserve fund adequate to meet three months salary of all their staff.

5.2 Financial Management

The funds of the institution should be deposited in a nationalised bank/State Bank of India or its subsidiaries. The institution should adopt financial procedure prescribed by the university/state government. Adequate provision should be made in the annual budget of the institution for all essential recurring costs as follows :

5.2.1 Salaries

Salaries of all staff including allowances and benefits as per UGC/State/Central Govt. approved pay scales and other benefits.

5.2.2 Cost of instructional materials

Items :

Teaching-Learning materials

Play Materials

Education and Development, Assessment, Educational Technology Art, Music and Movement

Sports and Games

Books and Stationary

Contingencies

Essential	Rs. 750/-	per student/year
Desirable	Rs. 1000/-	per student/year

The cost of recurring expenditure for the institution can be estimated on the basis of the number of students.

5.2.3. Books, Journals, A.V. Aids

Essential	Rs. 10,000/year
Desirable	Rs. 15,000/year

5.3 Fee Structure and Scholarship

Essential

The fee structure should be as decided by the State government from time to time. In any case the total fees and other charges collected from a student should not exceed the per pupil recurring expenditure of the institution.

Desirable

Adequate free - studentships may be provided for poor meritorious students. Adequate scholarships may be proided purely on merit.

6. More than One Course in the Same Institution

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building/complex, the facilities in terms of building, hall, library, hostels, equipment, play fields etc. may be shared in a reasonable manner.

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS [ELEMENTARY]

1. Preamble

The National Policy on Education, has stated that the thrust in elementary education will be on (i) universal enrolment/universal retention of children upto 14 years of age, and (ii) substantial improvement in the quality of education. The improvement in quality of elementary education will to a large extent depend on the quality of teachers who operate these programmes. This, in turn, will depend critically upon the quality of the preservice and in-service programmes of elementary teacher education.

In order to promote quality in teacher education programmes for different stages the National Council for Teacher Education has laid down the norms and standards for teacher education institutions. The present document lays down the norms and standards for elementary teacher education institutions for a two-year elementary teacher education course after passing the 12th standard Examination or its equivalent. The norms cover; human resources, physical infrastructure, academic inputs and financial provisions.

The norms are presented under two levels : (i) essential norms which define the minimum that all institutions should fulfil in order to be eligible for statutory recognition by the NCTE and (ii) desirable standards which institutions should strive to achieve in a reasonable period of time.

The norms have been worked out for the minimum viable intake of 100 student teachers (50, I year + 50, II year). proportionate increases in staff and facilities will have to be made by institutions which admit more than this number. The minimum requirements will apply even though the intake is less than 100.

The measurement of land, building, space, rooms, library etc. mentioned in the document under Physical Infrastructure as essential or desirable are to be treated as approximate and to serve as to guide. The main purpose is to ensure that the rooms etc. be of a size in which the teaching-learning of required number can be conducted conveniently and comfortably.

2. Human Resources

2.1 Teaching Staff

Essential

Teacher-student ratio for the elementary teacher training institutions must be 1 : 12 excluding the Principal. For an intake of 100 students (50, first year + 50, second year) the teaching staff required would be 1 Principal and 8 teachers. If student intake is more, the number of teachers must be increased proportionately to maintain the teacher-student ratio at 1 : 12. Part-time teachers should not be counted for calculating the ratio. There should be at least one teacher with knowledge of the subject-content and its methodology in each of the following school teaching areas : English, Mother Tongue (or State language), Mathematics, Science, Social Studies, and Computer Education. There should be two separate teachers to teach Foundations of Education and the general subjects. In addition, there should be one instructor for each of the following areas : Physical Education, Music, Workshop practice, Educational Technology. The number of teachers required will depend on the lecture work-load and the work-load of practice teaching supervision and other practical work connected with it. Further the adequacy of the number of teachers in a teacher education institution will have to be assessed from the point of view of the number of students who come into an optional group and also in terms of the number of optional subjects to be offered by a student undergoing the course. All this is subject to the condition that there should be at least one qualified teacher to teach each teaching subject (school subject) and one teacher per batch to teach the general subject.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रकाशन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स दिल्ली-54

281

The rank and qualifications of the Principal and teachers will be as follows :

Designation	Essential	Desirable
Principal	Rank: Reader/Sr. Lecturer in a College Qualifications M.Ed/M.A. Education and five years' teaching experience as Lecturer	Rank: Professor Qualifications Master's Degree in a school subject plus Master's Degree in Education with five years' teaching experience in the rank of Lecturer
Lecturer for General Subjects (2)	Rank : Lecturer in a College Qualifications M.Ed/M.A. in Education	Rank : Reader Qualifications M.Ed/M.A. in Education and Master's Degree in a relevant subject, preferably in Psychology/Sociology
Lecturer in Methodology of Teaching School Subjects (5)	Rank : Lecturer in a College Qualifications M Ed./M.A. in Education with a first Degree in the concerned subject and specialization in the concerned methodology or M A./M.Sc. in the concerned school subject with specialization in teaching the subject.	Rank : Reader Qualifications M.Ed./M.A. in Education and Master's Degree in the concerned or relevant school subject.
Lecturer in Educational Technology (1)	Rank : Lecturer in a College Qualifications M.Ed. with specialization in Educational Technology or M Ed. in Educational Technology	Rank : Lecturer in a College Qualifications Degree in Engineering with special training in Educational Technology.
Instructor in Physical Education (1)	Rank : PG Teacher Qualifications B.P.Ed/B.P.E.	Rank : Lecturer in a College Qualifications M.P. Ed/M.P.E.
Instructor in Art/Music (2)	Rank : Secondary School Teacher Qualifications Degree in Art/Music or a Diploma in Art/Music after higher secondary	Rank : Lecturer in a College Qualifications Post- Graduate Degree/Diploma in Art/Music
Workshop Instructor/Instructor in Work Experience (1)	Rank : Secondary School Teacher Qualifications Diploma in Engineering	Rank : Lecturer in a College Qualifications Degree in Engineering
Instructor in Educational Technology (1)	Rank : P.G. Teacher Qualifications P.G. Diploma in Computer Science	Rank : Lecturer in College Qualifications Degree in Computer Science

Note :

(i) Suitable designations are to be given when higher ranks and higher qualifications are prescribed (e.g. designation of Instructor to be upgraded to that of Lecturer etc.).

(ii) All academic staff are to be appointed on a regular and full-time basis, with salary scales as prescribed by State/Central Govt. service.

(iii) All selections are to be made by duly constituted selection committees with specialists as members.

(iv) Part-time teachers may be appointed in Art, Music, and Work-experience etc. depending on the teaching work load. These part time teachers will not be considered while calculating teacher-student ratio.

2.2 Technical Support Staff

Designation	Essential	Desirable
Librarian	One Qualifications Diploma in Library Science	Qualifications Degree in Library Science. experience in library automation
Library Assistant	One Qualifications Certificate in library science or equivalent.	Two Qualifications Diploma in library science.

2.3 Administrative Staff

Designation	Essential	Desirable
Office Assistant	One	Two
Accounts Assistant	One	Two
Typist : Word processor	One	Two
Office Assistant	Two	Four

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

282

IndiaCode

Note :

For calculating staff requerements and the facilities for batch size in excess of 50, the following principle will be observed :

Batch size 50 - 55 - Requirements for batch size 50

Batch size 56 - 65 - Requirements for batch size 60

Batch size 66 - 75 - Requirements for batch size 70

Strength beyond 75 will not be permitted for a single batch. When the intake for a year exceeds 75, the procedure for running a second independent batch will have to be adopted, following the rules prescribed for the concerned batch sizes.

Admission for a single year should, in no case, exceed 150.

3. Physical Infrastructure

3.1 Space and Buildings

3.1.1 Land, area and Location

Essential :

Adequate space for the administrative wing, academic wing and play grounds/space for recreation.

The institution should be located in a relatively noise-free and pollution-free zone, having adequate supply of drinking water and electricity. It should have good conveyance and communication facilities with the nearest town.

Requirements for intake in First & Second Year—50+50

Item	Essential	Desirable
Total Land Area	5000 sq. mts	15000 sq. mts
Floor Area of Building (Excluding Hostel & Staff Quarters)	1000 sq. mts	1500 sq. mts
Floor Area per Student	10 sq. mts	12 sq. mts

3.1.2 Instructional Facilities

The main building should have the following facilities:

	Essential	Desirable
1. Classrooms	4; 60 sq. m. each	6; 150 sq.m.
2. Assembly Hall	1;100 sq. m.	1;150 sq m.
3. Library-cum-reading room	1;100 Sq. m. Seating for 30 students	1;150 sq.m. Seating for 50 students.
4. **Multipurpose Educational Laboratory	1;75 Sq.m. Practical Works facility for 16;20 students.	2;75 sq.m. facility for 15 students.
5. Workshop	1:75 sq. m.	2;75 sq. m. each
6. Art and Music Room	1;60 sq.m.	2 separate rooms of 50 sq.m. each
7. Games Room	1;50 sq.m.	1+1 Hall for indoor Games—50 sq.mts.
8. Educational Technology Room	1;40 sq.m.	1+1 Separate Computer Room; 40 sq.m.

**Laboratory requirements of institutions of teacher education will have to be redefined to accommodate new educational thinking and practices. What is required is not a regular science laboratory or a psychology laboratory; but a comprehensive multi purpose educational laboratory with different Section (science education lab, mathematics education lab, language education lab, educational technology lab, social science lab) and a supporting mini workshop.

If a large sized room for a common multipurpose laboratory is not available separate sections may have separate laboratory rooms.

3.1.3 Administration Block

The administration block should have the following rooms :

Rooms	Essential	Desirable
Principal's Room	1; 30 Sq. m.	50 Sq. m.
Teachers' Common Room	1; 60 Sq. m	75 Sq. m.
Office Room	1; 50 Sq. m.	75 Sq. m.
Store Room	1; 50 Sq. m.	75 Sq. m.

3.1.4 Other Amenities

Essential

One Common Room for women students, having a floor area of 40 sq. m. and facility for pure drinking water and toilet.

Desirable

Two common rooms one for men and one for women students, each of area 50 sq. m. with attached and separate toilets for men and women students and staff. Water-cooler facilities at two places.

3.1.5 Residential Area

(a) Students' Hostel

Desirable

Two hostels, one for men students and another for women students to accommodate 60% of the students.

(b) Staff Quarters

Desirable

Quarters to be provided for at least 50% of the teaching staff and all the non-teaching staff whose services are required at odd hours, near the campus. Principal's Quarters may be provided close to the institution.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

283

(c) Play Fields

Essential

Institution should have minimum play fields to engage at least 50% of the students at a time, in active outdoor games requiring small fields for the following outdoor games : volley ball, basket ball, badminton, kho kho, kabbadi, or other local games. A minimum of 500 sq. m. area should be provided for play fields and physical education.

Desirable

Play fields area - 1000 sq. m. Facilities for large field games like football, hockey, cricket. A hall for indoor games—Table-tennis etc. Gymnasium and athletics track.

3.2 Equipment

3.2.1 Multipurpose Educational laboratory

(i) Multipurpose Educational Laboratory (Science Section)

Essential

The institution should have all the apparatus and chemicals required to demonstrate all the experiments indicated in the syllabus of primary and middle school classes.

Desirable

Multiple sets of apparatus for the above; facility for preparing experimental kits using indigenous materials.

3.2.2 Multipurpose Education Laboratory (Psychology Section)

Essential

Provision for conducting following tests : Sensory-motor, Intelligence (Performance, Verbal and Non-verbal), Aptitude, Personality and Interest Inventories including Projective Tests : provision for conducting simple Piagetian and Brunnerian experiments.

Desirable

Equipment to conduct psychological experiments like : Span of attention, Distraction of attention, Maze learning, Bilateral transfer of training, Free versus controlled association, Effect of coding on memory, Retroactive Inhibition, Effect of rest pause on psychomotor learning, Effect of mental set on problem solving. Effect of mental set on concept formation, Effect of nature of stimulus material on retention; Association Mediation Effect, Learning concept formation and learning.

All the requirements for experiments indicated above.

Multiple sets of the above-mentioned tests.

3.2.3 Multipurpose Education Laboratory (Educational-Technology Section)

Essential

One TV, One Audio Cassette Recorder, one Slide-cum-Film strip projector. Adequate number of blank audio and video cassettes. Drawing materials for preparation of charts. One Radio/Transistor set, Video-cassette, Cordless Microphone.

Desirable

Video Camera, one Amplifier, one Computer, two Speakers, two Microphones, two Audio Cassette Recorders, one VCR, one OHP, provision for computer assisted self-learning, a movie camera and film development facilities.

3.2.4 Workshop attached to the Multipurpose Education Laboratory

Essential

One set of wood-working hand tools, one set of gardener's tools and other essential equipment required for work-experience activities provision for practising work experience in tailoring, type-writing, and performing simple experiments in electronics; a section with facility for practicing wood work, carpentry, smithy, model making in clay, and sheet metal work.

Desirable

Section for glass blowing, foundry practice, paper pulp modelling, and welding; provision for developing educational aids in card board, sheet metal, wood and clay.

3.2.5 Art & Music Section

Essential

Art paper, board, brushes, colours etc. for practice of visual art. Simple musical instruments, such as harmonium, tabla, mridangam, flute, other popular local instruments; costumes and accessories for staging dance and drama performance, curtains and other accessories.

Desirable

Sound recording equipment, recorded music of reputed musicians, copies of the painting of great artists to represent important schools of art. video rendered dance performance of reputed artists, video of different kinds of folk dances.

3.2.6. Games and Sports

Essential

Adequate games and sports equipment and materials for important outdoor and indoor games; materials and equipment required for training in athlectics and body building.

Desirable

Exercising instruments, video-supported study material for different games, different kinds of exercises and yoga poses.

3.2.7 Computer Centre

Essential

Two computers and accessories for working them.

Desirable

Five Computers, Internet connection and E-mail facility.

3.3 Books and Journals

Essential

A minimum of 1500 books including reference and textbooks, should be available during the first year of the functioning of the institution and at least 100 books be added every year. The institution should subscribe to at least three professional journals.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

284

Desirable

The institution should have 3000 books initially and 200 books be added each year. There should be at least five professional journals.

3.4. Furniture

All rooms in the main building should have adequate urniture for seating the sanctioned number of students and the staff of the institution. The furnitur requirements for different rooms (calculated for a total of 100 students) are as follows:

Room	Essential	Desirable
1	2	3
1. Classroom	Requirements per classroom : Students' seats (50) Teachers' chair (1) Teacher's table (1) Black Board (1) White board (1) 3 mt×2 mt. Additional chairs (2) OHP (1)	Seats for 75 students per classroom
2. Assembly Hall	Dais of size 6 mt×3 mt. ×0.5 mt. (1) Students' seats (120) Teachers' chair (20) Guest chair (5)	One additional hall of the size of the Assembly Hall with facilities for conducting demonstration classes
3. Laboratory	5 Tables of size 1.25 mt. ×2mt. ×0.9 mt. in each section of lab. Tall Stools (20) (0.6 mt. ht.) Teachers' table (1) Teacher's chair (1) Almirah (1)	10 tables of the type indicated on the left. Additional Almirah (1)
4. Workshop	5 Work benches of size 1.25 mt. × 2mt ×0.75 mt. Stools (of ht. 0.6 mt.) (20) Teacher's table (1) Teachers' chair (1) Almirah (1)	Basic furniture for workshop practice. Additional Almirah (2)
5. Computer Room	Computer desks (2) Student's seats (2) Table for consol (1) Instructors chair (1) Almirah (1) White board (1)	Furniture for installing Computers (5) E-mail and Internet Connections.
6. Library	Book shelves for 2000 books Periodical rack (1) Catalogue cabinets each with 4 Card Trays to hold 2000 Cards. Librarians table (1) Chairs (2) Long tables Student's chairs (50) Notice board (1)	Book shelves for 3000 books Catalogue Cabinets to hold 3000 cards. Bulletin Board (1)
7. Principal's Room	Table size 2mt × 1.25 mt. × 0.45 mt (1) Chairs (5) Almirah (1) Book rack (1)	Sofa set (1)
8. Teachers Room	Chairs (12) Tables (12) Additional chairs (b) Steel Shelves for teachers (12)	Teachers Cabins/Rooms Attached rest room for teachers with sufficient furniture; Almirah one each.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

285

1	2	3
9. Office	Tables (3) Chair for each administrative staff (1) Steel Almirah (1) Filling rack(1) Notice boards (2) Additional chairs (2)	Additional Room for visitors Chairs for visitors (6)
10. Store Room	Almirah (3) Racks (2)	Almirah (5) Racks (3)
11. Student Common Room	Long table (1) Student's chairs (20)	Separate rest rooms for men and women students with long tables (2) and student chairs (15) for each room

Note: The requirements are for an intake of 100 students in two batches; for student strength in excess of 100, proportionate increases are expected in all the facilities listed here.

4. Academic Input

4.1. Admission Criteria

4.1.1. Eligibility

Essential :

Pass in Higher Secondary School Certificate Examination of 50% marks in the aggregate.

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional/legislative provisions.

4.1.2. Selection Procedure:

Students should be selected for admission on the basis of merit as determined by performance in qualifying examination and/or an entrance written test and/or interview to be conducted by an agency—State government/institution—approved by NCTE.

4.2. Curriculum Transaction And Internship

4.2.1. Working Days and Hours of Instruction:

Total number of working days — Essential 200 (1200 hours). Desirable 220 (1320 hours).

A working day will be of 6 hours for a 6-day working week. For a 5-day working week, the hours will be proportionately longer (7.2).

This will be distributed as follows:

	Essential	Desirable
Teaching days (hours) per year Supervised Practice	150 days (900 hours)	160 (960 hours)
Teaching in Schools	40 days (240 hours)	50 (300 hours)
Admission and Examination Days	10 days (60 hours)	10 (60 hours)
Total	200 (1200 hours)	220 (1320 hours)

4.2.2. Practical work (other than Practice Teaching) to be performed by each student.

Each student should perform under Supervision, the following practical work during each year of the course:

Item	Essential	Desirable
Project in Science/Maths/Language/Social Science	1 per subject	1
Preparation of Teaching Aids	3 per subject	5
Administering of Tests, Interpreting Test Scores	1 per subject	1
Preparation, Administration and Interpretation of Diagnostic Tests	1 in any one subject	1 per subject
Operation of Audio-Visual Equipments	Use of all essential equipments	Also, use of all desirable equipments.
Conduct of Micro-teaching Lessons	2 basic skills	3
Observation of Demonstration Lessons	2 in each subject	3
Observation of Lessons	10 in each subject	15
Participation in Games & Sports	2 hours each week	1 hour per day
Participation in Work Experience Projects	2 hours each week	3 hours
Case Study/Action Research Project	1	1+1
Participation in school activities/features	All activities	
Simulation/Case Study in Educational Management	1 per year	1+1
Computer Practice	1 per week	1 per day

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

286

4.2.3. Supervised Practice Teaching

The new teacher education should also make use of opportunities provided by the new technologies for a deeper exposure of student teachers to professional skills in the form of simulation, video-recorded micro-teaching, critical-incident techniques, case study approaches, internet and computer a individualised learning facilities for instructional purposes.

Practice Teaching should be conducted in a planned manner. A student teacher should teach two periods per day and observe two lessons of per student teachers. At least 50% of the practice lessons should be fully supervised by teachers of the institution. A student should teach a minimum of 15 lessons in each of the optional teaching subjects. Micro-teaching should be used for first-level induction to teaching; each cycle of micro-teaching (plan-teach-replan-reteach) may be included in the 1st phase of teaching practice which can be conducted within the institution.

The institution should have working arrangement with adequate number of elementay schools for practice teaching. It is desirable that it has one practising school attached to it.

5. Financial Provisions

5.1. Endowment and Reserve Fund

Each institution should have a properly prepared annual budget. Institutions under private management should have an endowment fund of at least Rs. 5.00 lakhs and a reserve fund to cover three months, salary of all staff.

5.2. Cost

(for 50+50 Students)

5.2.1. Non-recurring Cost

Item	Essential	Desirable
Building (excluding hostel & staff quarters)	30 lakhs (area 1000 sq. mts.)	40 lakhs (area 1500 sq. mts.)
Equipment and Books	1 lakh	1.5 lakhs
Furniture (for institution only)	0.50 lakh	0.75 lakh

5.2.2. Recurring Cost

Adequate provision should be made in the annual budget for all essential recurring costs which will ensure its optimal functioning, making provision for the following:

(a) Salary and other benefits as per State/Central Government norms.

(b) Expenditure for purchase of Instructional Material, maintenance of labs, workshops, physical education wing, computers wing and other academic activities indicated earlier.

Expenditure per student per year:

Essential	Rs. 700/-
Desirable	Rs. 1000/-

5.3. Fee Structure

Essential

The fee structure should be as decided by the State Government from time to time. In any case the total fees and other charges collected from a student should not exceed the per pupil recurring expenditure of the institution.

It is deirable to provide some free studentships for meritorious poor students.

6. More than One Course in the Same Institution

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building/ complex, the facilities in terms of building, hall, library, hostels, equipment, play fields etc. may be shared in a reasonable manner.

Appendix-Id(C)

22 July, 1998/September 4, 1998

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS

SECONDARY
(B.ED.)

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
C-2/10 Safdarjung Development Area
NEW DELHI
1998

NORMS AND STANDARDS FOR TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS—SECONDARY

1·0 Preamble

Teacher preparation course for the secondary level, generally known as B.Ed., is a professional course having three major components : (a) theoretical orientation, (b) school experience and (c) practical work. Sound exposure to all the three aspects is a pre-requisite for the preparation of a competent teacher.

Theoretical orientation in teacher education includes core courses such as philosophical, sociological and psychological basis of education. These courses aim at helping the teacher/would be teacher in formulating his/her own authen-

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
287

tic responses to reality, and his/her own self, to situate education in the social context, to develop a better understanding of the needs, interests and abilities of the learners and to create effective learning situations. Subjects like history of education, school administration, educational measurement and evaluation and educational technology, along with content-cum-methodology courses in different school subjects, make an inseparable part of the theoretical orientation and pedagogical thrust in teacher education. The other component—school experience or exposure to the life at school includes, inter alia, classroom teaching for practice for a specified period and participation in the academic and socio-cultural life of the school. Adequate preparatory exercises in the form of demonstration lessons, discussion of lesson plans, micro-teaching, simulated teaching, experiments in science subjects and reviewing of films and film strips related to classrroom teaching are conducted at the teacher education institutions. It is kept in mind that the theory and practice retain close relationship. The third component—practical/ sessional work—relates to audio visual activities, preparation of teaching aids, work experience, games and sports, recording of psychological observations and conducting experiments, and organization of co-curricular activities including field trips, tutorial and small group discussions and such other school-based and institution-based activities.

Successful implementation of this package of activities, together with the practicum appended to theoretical courses, makes it essential for a teacher educator to be available to the students for wide ranging consultation and guidance, as and when they need it. As such, physical presence of the teacher educator for the full day in the institution is of vital importanee.

One of the most vital aspects of teacher education in the present times is employment of various modes of curricular transaction. Apart from classroom lectures, the teacher education course must make provision for a variety of participatory learning activities, small group discussions, symposia, seminars, library work and written assignments etc.

Tutorials are the nucleus for generating informal, live interaction amongst the students and teachers. Apart from providing excellent opportunity for observing the entry behaviour and subsequent attitudinal changes in the students, the tutorials serve as fura for student—teachers to acquire the communicative skills and develop self concept. The tutorials also yield an invaluable opportunity for the teacher educators to reconstruct their curricular transaction in the light of feed back provided by the students.

The rich repertoire of activities mentioned above imparts rigour and respectability to teaching as a profession and enjoins teacher education institutions to adopt state-of-the-art technology and innovative strategies to enable student teachers to master knowledge, skills and values relevant to the present age.

No programme of action can succeed unless it has the vision, the will and the facilities of infrastructure and other quality inputs to transcribe its objectives into reality. The norms and standards given below are inspired by the philosophy of teacher education and its lofty objectives outlined above.

In this document, the norms and standards for regular institutional programmes of secondary teacher education leading to B.Ed. degree are presented. These norms shall apply to all institutions off regular institutional secondary teacher education programmes irrespective of the fact that this is the only educational programme of the institution or is one of several other teacher education programmes offered by the institution. These norms and standards are applicable for recognition of institutions, permission of courses and consideration of additional intake of seats. The norms are stated under two categories : (i) essential norms which are t ıe minimum that all instit .tions must fulfil in order to be eligible for recognition/permission of their institution/course by NCTE, and (ii) desirable norms which institutions should strive to achieve in a reasonably short period of time. The norms cover Human Resources, Physical Infrastructure, Academic inputs and Financial Provisions and are presented in that order.

The measurement of land, building, space, rooms, library etc. mentioned in the document under Physical Infrastructure as essential or desirable are to be treated as approximate and to serve as a guide. The main purpose is to ensure that the rooms etc. be of a size in which the teaching-learning of required number can be conducted conveniently and comfortably.

2·0 Human Resources

2·1 Teaching Staff

Teacher-student ratio	1 : 10
For example	
For 60 students	6 teachers and 1 Principal/Head
For 120 students	12 teachers and 1 Principal/Head

(Principal/Head not to be included for calculating the Teacher-Pupil ratio).

The staffing should enable provision offering training in at least TWO specialization methods.

2·1 Specialization and Qualifications of Teaching Staff

6 teacher s (for 60 students) be as follows :
Reader/ Lecturer for General education subjects-3
Method subject teachers 1 for each; In addition, Part time teachers for Art, Music, Crafts etc.

S. No.	Designation	Number	Specialization	Qualifications
1	2	3	4	5
01.	Principal/Head	1	Education	UGC Norms with PG Degree in Education and with 10 years experience in teaching, research / administration of which at least 5 years related to Teacher education.
02.	Reader/Lecturer . . .	3	Education	UGC norms with a P. G. degree in Education, M. A. (Edn)/M.Ed./PG in relevant school subject, 5 years teaching and / or research experience in Teacher Education institution, Ph.D. in any subject, preferably in Education.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

988

1	2	3	4	5
03.	Lecturer	2	Method subjects	UGC norms with a Master's degree in a school subject and a P. G. degree in Education.
04.	Lecturer	1	Method subject/ Physical Education Qualifications	As above / Master's degree in P.Ed.
05.	Instructor in Work Experience	1	Agricultural, Industrial or other crafts.	Certificate / Diploma in Craft.
06.	Instructor in Art, Music and Performing Art	1	Fine Arts, Music and Performing Art	Degree / Diploma/Certificate in Fine Arts/ Music / Performing Arts.
	2·3 Technical Support Staff			
01.	Librarian/Asstt. Librarian	1	Library Science	UGC norms and qualifications (for Lecturer Grade)
02.	Professional Asstt.	1	Library Science	UGC norms and qualifications
03.	Technical Asstt.	1	Science / Technical subject	University / State Government prescribed qualifications.
	2·4 Administrative Staff			
	Designation	Number		Qualifications
01.	Office Staff	2		As per University / State Government norms. Desirable to have one person with computer skills.
02.	Helper	1		As per State Government norms.

2·5 Mode of appointment of staff

The core teaching staff shall be appointed on full time and regular basis. Supporting academic, administrative and technical staff may be appointed on part-time basis in the beginning. In all cases properly constituted selection committees as per UGC / University / Government rules will select the candidates.

3·0 PHYSICAL INFRASTRUCTURE

The teacher education institution should be located in a noise - free atmosphere. It should be relatively pollution free. There should be good transporation and communication facilities and availability of water and electricity. The land area chosen must provide enough space for institutional building and for future expansion and adequate open space for organizing games and sports.

3·1 Build-in Space / Area

For a unit of 60 students, building space consisting of class rooms, library, laboratory and administrative wing should be provided, as follows :

	Essential	Number	Area
1		2	3
(i)	Classrooms	2	60 sq. m. each
(ii)	Multipurpose room	1	100 sq. m.
(iii)	Hall	1	125 sq. m.
(iv)	Multipurpose Laboratory for Computer, Psychology and Science Practical	1	Approx. 100 sq. m. + 45 sq. m. for storage space
(v)	Library room with reading facilities for at least 30 students	1	50 sq. m. including storage space.
(vi)	Work experience room	1	60 sq. m.
(vii)	Principal's room with attached toilet facilities	1	25 sq. m.
(viii)	Staff room	1	60 sq. m.
(ix)	Office room	1	40 sq. m.
(x)	Store room	1	25 sq. m.

IndiaCode

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

1	2	3
(xi)	Common room with adequate space for women students.	
(xii)	Separate toilets for girls, boys and teachers / staff . . .	25 sq. m.
(xiii)	Provision for drinking water facilities in atleast two places with drinking water available at all times during working hours.	

Desirable

(i)	Seminar room 1	100 sq. m. for 50 person
(ii)	Separate laboratories for Science, Psychology, Educational Technology 1	each 75 sq. m. with 15 sq. m. for storage
(iii)	Small group work rooms 2	25 sq. m.
(iv)	A large multipurpose Hall 1	150 sq. m.
(v)	Separate school subject rooms	30 sq. m. each.
(vi)	Separate room for teachers 1	20 sq. m.
(vii)	Canteen, if possible on co-operative basis	

3.2 Play ground

Essential

Small open space for athletics, badminton, volleyball, basket ball, throw ball etc. 500 sq. m.

Desirable

(a)	Play grounds for big outdoor games - foot ball, cricket etc. .	1000 sq. m.
(b)	Indoor games rooms.	

3.3 Residential area

Desirable

There should be provision for Principal's and staff quarters, hostel facilities for both men and women.

3.4 Furniture

		Essential	Desirable
(i)	Students' desks and seats	one each	some extra
(ii)	Hall — Dais	2	4
	Chairs	100	150
(iii)	Chairs and tables for the Principal, teachers, Librarian and the Office staff.		as needed in all rooms
(iv)	Work tables for Laboratory	2 big size 1·25 mts. x 0·9 sq. m. each.	3 bigger size
(v)	Books shelves for 3000 books.		
(vi)	Reading tables with chairs for 30 students in the reading room.	30 chairs	40 chairs
(vii)	Black boards for class rooms and laboratory	1 each (2·5 mts. x 1 mt.)	1 additional board in each class (3·5 X 1 mt.)
(viii)	Notice boards and bulletin boards.		
(ix)	Steel almirah / cabinet	one for each teacher	A central long Table, in addition
(x)	Storage racks	as needed.	
(xi)	For the librarian - filing cabinet	One	

IndiaCode

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

290

3.5 Equipment

3.5.1 Science Laboratory

Essential

The institution should have multiple sets of Science apparatus required to perform and demonstrate all the experiments prescribed in the Secondary and Senior Secondary classes. chemicals etc. should be available in the required quantity. The purpose is to train the student-teacher for efficiently conducting classes in science practicals in school.

3.5.2 Psychology Laboratory

Essential

Apparatus for simple experiments related to educational psychology-intelligence tests (performance, non-verbal, verbal) aptitude testI' creativty tests personality scales, attitude tests and interest inventories etc.

3.5.3 Educational Teachnology

Essential

Radio - 1 T.V.-1 Audio cassette recorder-1 Slide-cum-film strip projector-1, Overhead projector 1-Art materials for preparation of charts and slides, materials for transparencies V.C.R.-1 Amplifier-Loud speakers-2 Microphones-2 Adequate number of blank Audio-Video cassettes.

Desirable Still camera-1, Computer P.C.-1

3.5.4 Books and Journals

	Essential	Desirable
Books including text and reference books	3000	5000
Professional journals	5	10

At least 200 books shall be added every year. This may include additional and multiple copies of text books.

4.0 Academic Input

4.1 Admission

4.1.1. Eligibility

Essential

Candidates possessing at least 45% marks in the aggregate in the Bachelor's degree/Master's degree examination of a recognized University provided the applicant has offered at least two school Subjects at the first and/or second degree level.

Desirable

It is desirable to restrict admission with 50% or more in the aggregate in the first or second degree examinations wherever such candidates are available.

4.1.2. Selection Procedure

Candidates will be selected for admission on the basis of merit. Merit shall be determined by the performance at qualifying examination and/or by a selection test and/or interview to be conducted by an agency the institution, university or national/state level approved by the NCTE. It is desirable that the selection test, where held may include a test of knowledge of school subject, general knowledge) general awareness and communication ability and skills.

Reservation of seats may be provided in accordance with the constitutional legislative provisions.

4.2 Curriculum Transaction

4.2.1 (i) Number of working days/hours per session :

Essential
200 days or 1200 hours.
Desirable
210 days or 1260 hours.

(ii) Admission 10 days

All admission work must be inititated before the session begins and all formalities shall be completed with 10 working days after reopening of the institution.

(iii) Teaching days including practice teaching work.

Essential 180 days (1080 hours)
Desirable 190 days (1140 hours.)

(iv) Examination days 10 days (60 hours)

(v) A Working day shall be of minimum of 6 hours duration if it is a six day working week. with five-days working week proportionate hours (7.2) per day.

4.2.2 Supervised Practice Teaching

It is desirable that depending on classes/sections available for practice teaching in a school, students may be deputed at the rate of not more than two students per section. A student may teach two periods per day and observe one lesson of other teachers. At least 50% of the lessons should be supervised fully by institutional teachers and school teachers and feedback given to student orally as well as by comments in writing. Each student

Attested 12/5/05
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

should teach a minimum of 20 lessons in each method subject and maintain record thereof. Programme of practice teaching may include placement in a school for a block period of 2/4 weeks to work as internee teachers so that in addition to practice teaching, they take part in other activities of the school. The teacher education institution should preferably have a practicing school also attached to it.

4.2.3 Practical Work/Activities

The institutions are expected to organise all items of work under Group A and as many as possible of the items of practical work activities listed under Group B. The norms for performance student in these activities shall be prescribed by the University Examining Body concerned.

		Essential	Desirable
	Group A	1 each paper	2 each paper
01.	Practical work related to each theory paper	2	4
02.	Science Experiments (for science teaching students)	3	6
03.	Psychology experiments / tests including case studies.	4	6
04.	Preparation of Teaching aids.		
05.	Preparation of lesson Plans and teaching		
	(a) Preparatory to teaching in school	3 in each method subject	5 in each method subject
	(b) Teaching in real school situation	17 in each method subject	20 in each method subject
06.	Observation of lessons taught by fellow student teachers.	10 in each subject	15 in each subject
07.	Observation of Demonstration lessons.	2	5
08.	Construction of test items, unit test and examination question paper in each method subject.		
	(a) Objective items	10	20
	(b) Short answer items	5	10
	(c) Essay type questions.	5	10
	Group B		
09.	Review of a Text Book	1	2
10.	Tutorial Essay	3	5
11.	Writing Report of any feature of a school	1	2
12.	Wall magazine-group work.	2	3
13.	Celebration of important days (Group work)	most of them.	4
14.	Community work	1	
15.	Participation in social, literary, cultural and sports activities (Group work)	2	3
16.	Practice in the use of Audio-Visual equipments,	—	All items available in the institution may be handled to the maximum possible extent.
17.	Work experience related with some Theory Course	1	2
18.	Other co-curricular Group and Individual activities according to local genius and situations.		As many as possible.

IndiaCode

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

292